



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHEELA JHA पुत्र/पुत्री श्री RAJEEV JHA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHEELA JHA पुत्र/पुत्री श्री RAJEEV JHA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHEELA JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJEEV JHA दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHEELA JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJEEV JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Yashi copy, Bank copy, RWA SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठानकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 844

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHEELA JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJEEV JHA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4961, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री TARANNUM BEGUM पुत्र/पुत्री श्री TASBIR KHAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री TARANNUM BEGUM पुत्र/पुत्री श्री TASBIR KHAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री TARANNUM BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...TASBIR KHAN दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री TARANNUM BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TASBIR KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,census slip
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/845

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री TARANNUM BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TASBIR KHAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4638, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GAJALA KAWSAR पुत्र/पुत्री श्री .MD. RUSTAM ALI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GAJALA KAWSAR पुत्र/पुत्री श्री MD. RUSTAM ALI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GAJALA KAWSAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MD. RUSTAM ALI दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GAJALA KAWSAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. RUSTAM ALI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 846

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GAJALA KAWSAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. RUSTAM ALI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5290, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA TRIPATHI पुत्र/पुत्री श्री .PRAYAG NARAYAN AGNIHORTI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA TRIPATHI पुत्र/पुत्री श्री PRAYAG NARAYAN AGNIHORTI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNITA TRIPATHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .PRAYAG NARAYAN AGNIHORTI दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA TRIPATHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRAYAG NARAYAN AGNIHORTI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Affidavit

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 847

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA TRIPATHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRAYAG NARAYAN AGNIHORTI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5091, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.नौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SADDHAM HUSSAIN पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD SAMIM टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SADDHAM HUSSAIN पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD SAMIM टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SADDHAM HUSSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MOHAMMAD SAMIM दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SADDHAM HUSSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD SAMIM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 848

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SADDHAM HUSSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD SAMIM टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5120, 6799, 29.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाय प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.मौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Jay SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Jay SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Jay SINGH दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jay SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, RWA SLIP, ESIC CARD, SURVEY ID
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 849

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jay SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5170, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Nasreen khatun पुत्र/पुत्री श्री **Salauddin khan** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Nasreen khatun पुत्र/पुत्री श्री Salauddin khan टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Nasreen khatun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Salauddin khan दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Nasreen khatun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Salauddin khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, census slip

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 850

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Nasreen khatun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Salauddin khan टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5903, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411849, 2411864, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DINESH PANDIT पुत्र/पुत्री श्री Kailash Pandit टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DINESH PANDIT पुत्र/पुत्री श्री Kailash Pandit टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DINESH PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kailash Pandit दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DINESH PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kailash Pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 851

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DINESH PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kailash Pandit टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4956, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sulekha Devi पुत्र/पुत्री श्री Avdhesh singh टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्यात बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sulekha Devi पुत्र/पुत्री श्री Avdhesh singh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sulekha Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Avdhesh singh दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sulekha Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Avdhesh singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/852

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sulekha Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Avdhesh singh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4453, 25.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री manoj पुत्र/पुत्री श्री munna lal टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री manoj पुत्र/पुत्री श्री munna lal टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री manoj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...munna lal दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री manoj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री munna lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/853

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री manoj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री munna lal टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4936, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Nirmala पुत्र/पुत्री श्री Ram Babu Deval टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Nirmala पुत्र/पुत्री श्री Ram Babu Deval टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Nirmala पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ram Babu Deval दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Nirmala पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Babu Deval द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Yashi copy, Ayshman card
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/854

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Nirmala पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Babu Deval टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4863, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Suresh kumar ram पुत्र/पुत्री श्री .Lt. bharat ram टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Suresh kumar ram पुत्र/पुत्री श्री Lt. bharat ram टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Suresh kumar ram पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Lt. bharat ram दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Suresh kumar ram पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Lt. bharat ram द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,SURVEY ID
---	---------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 855

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Suresh kumar ram पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Lt. bharat ram टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4748 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2419466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Anita Devi पुत्र/पुत्री श्री Vinod Kumar टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Anita Devi पुत्र/पुत्री श्री Vinod Kumar टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Anita Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinod Kumar दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Anita Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinod Kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP, Bank copy, SURVEY ID, Yashi copy, LABOUR
CARD

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/856

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Anita Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinod Kumar टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4727, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनाथ्र प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Nisha पुत्र/पुत्री श्री Anup Singh टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Nisha पुत्र/पुत्री श्री Anup Singh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Nisha पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Anup Singh दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Nisha पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anup Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,
---	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त, एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 857

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Nisha पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anup Singh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5892, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Archana Gupta पुत्र/पुत्री श्री .Rajesh Gupta टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Archana Gupta पुत्र/पुत्री श्री Rajesh Gupta टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Archana Gupta पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Rajesh Gupta दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Archana Gupta पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rajesh Gupta द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy
---	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/858

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Archana Gupta पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rajesh Gupta टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5875, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.प्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री श्री Dev Narayan Singh टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री श्री Dev Narayan Singh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dev Narayan Singh दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dev Narayan Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/859

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dev Narayan Singh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4962, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री KAILASH NATH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निगर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री KAILASH NATH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAILASH NATH दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAILASH NATH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Yashi copy
---	------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/860

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAILASH NATH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5021, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.कोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411604, 24115549
Fax : 0129-2411646

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANIL KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Roshan Lal टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANIL KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Roshan Lal टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतू बुलाया गया ।

श्री ANIL KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Roshan Lal दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतू सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतू विशेष रूप से गडिठ कमेट्री द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतू व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतू पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANIL KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Roshan Lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/861

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANIL KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Roshan Lal टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5816, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

पी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री REKHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Shishpal टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री REKHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Shishpal टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री REKHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Shishpal दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री REKHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shishpal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, SURVEY ID, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 862

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री REKHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shishpal टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5256, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

k
क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD IRFAN पुत्र/पुत्री श्री Md iltaf टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD IRFAN पुत्र/पुत्री श्री Md iltaf टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MD IRFAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Md iltaf दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MD IRFAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md iltaf द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card
---	-------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 863

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MD IRFAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md iltaf टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5121, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

k
क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411650, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHASHI PRABHA पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR LAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHASHI PRABHA पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR LAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHASHI PRABHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR LAL दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHASHI PRABHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, RWA SLIP, POLICE REPORT, SCHOOL FEE, RWA SLIP, HOUSE PHOTO, BANK STATEMENT, SURVEY ID AND Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 864

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHASHI PRABHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR LAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4426, 25.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AMIT KUMAR पुत्र/पुत्री श्री AMAR SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AMIT KUMAR पुत्र/पुत्री श्री AMAR SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AMIT KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...AMAR SINGH दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AMIT KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 865

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AMIT KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5006, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411619, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Daiji Devi पुत्र/पुत्री श्री **Ranjit Singh** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Daiji Devi पुत्र/पुत्री श्री Ranjit Singh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Daiji Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Ranjit Singh दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Daiji Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ranjit Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/866

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Daiji Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ranjit Singh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6059, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411864, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Bhagwan pal टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Bhagwan pal टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Bhagwan pal दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwan pal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,LABOUR CARD, Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 867

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwan pal टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4920, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129 2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAHAB SINGH पुत्र/पुत्री श्री SHIV RAM SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAHAB SINGH पुत्र/पुत्री श्री SHIV RAM SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAHAB SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SHIV RAM SINGH दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAHAB SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV RAM SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, SURVEY ID

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 868

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAHAB SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV RAM SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5217, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411564, 2415819
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RANI पुत्र/पुत्री श्री MAHRARAM SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RANI पुत्र/पुत्री श्री MAHRARAM SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री RANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHRARAM SINGH दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHRARAM SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/869

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHRARAM SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4592/5298, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बौक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJESHWAR SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Hanuman sharma टोकन नं. - 2690 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJESHWAR SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Hanuman sharma टोकन नं. 2690 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJESHWAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Hanuman sharma दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJESHWAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hanuman sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 560

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJESHWAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hanuman sharma टोकन नं. 2690 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5182, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री .Dinesh mandal टोकन नं. - 2698 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री Dinesh mandal टोकन नं. 2698 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Dinesh mandal दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinesh mandal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,
---	-------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/561

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinesh mandal टोकन नं. 2698 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4954, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PARSHURAM SHRESTHA पुत्र/पुत्री श्री HARK PRASAD टोकन नं. - 2712 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PARSHURAM SHRESTHA पुत्र/पुत्री श्री HARK PRASAD टोकन नं. 2712 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PARSHURAM SHRESTHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARK PRASAD दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PARSHURAM SHRESTHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARK PRASAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy, Yashi copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 562

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PARSHURAM SHRESTHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARK PRASAD टोकन नं. 2712 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5814, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM ASHISH SHARMA पुत्र/पुत्री श्री DHANA SHARMA टोकन नं. - 2715 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM ASHISH SHARMA पुत्र/पुत्री श्री DHANA SHARMA टोकन नं. 2715 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM ASHISH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DHANA SHARMA दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM ASHISH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DHANA SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Bank copy,
Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद.

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 563

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM ASHISH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DHANA SHARMA टोकन नं. 2715 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5337, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411664
Fax : 0129-2411645

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Shahida Begam पुत्र/पुत्री श्री Dildar khan टोकन नं. - 2718 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Shahida Begam पुत्र/पुत्री श्री Dildar khan टोकन नं. 2718 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Shahida Begam पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Dildar khan दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Shahida Begam पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dildar khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, GAS COPY

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/564

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Shahida Begam पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dildar khan टोकन नं. 2718 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5512, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415649
Fax : 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Vishwanath पुत्र/पुत्री श्री Dinesh Chand टोकन नं. - 2722 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Vishwanath पुत्र/पुत्री श्री Dinesh Chand टोकन नं. 2722 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Vishwanath पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Dinesh Chand दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Vishwanath पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinesh Chand द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 565

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Vishwanath पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinesh Chand टोकन नं. 2722 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4728, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411866, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Jhumu mandal पुत्र/पुत्री श्री **Manoj kumar mandal** टोकन नं. - 2730 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Jhumu mandal पुत्र/पुत्री श्री Manoj kumar mandal टोकन नं. 2730 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Jhumu mandal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Manoj kumar mandal** दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Jhumu mandal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj kumar mandal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/566

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Jhumu mandal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj kumar mandal टोकन नं. 2730 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5574, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

k
क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Madhuri Devi पुत्र/पुत्री श्री Shankar Mandal टोकन नं. - 2733 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Madhuri Devi पुत्र/पुत्री श्री Shankar Mandal टोकन नं. 2733 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Madhuri Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Shankar Mandal दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Madhuri Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shankar Mandal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 567

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Madhuri Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shankar Mandal टोकन नं. 2733 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5916, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DIPTI SINGH पुत्र/पुत्री श्री PRABHAS BALA टोकन नं. - 2739 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DIPTI SINGH पुत्र/पुत्री श्री PRABHAS BALA टोकन नं. 2739 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री DIPTI SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHAS BALA दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DIPTI SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHAS BALA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,RWA SLIP, CANCELLED CHEQUE
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 568

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DIPTI SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHAS BALA टोकन नं. 2739 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5711, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNNY layak पुत्र/पुत्री श्री .Sudarshan layak टोकन नं. - 2740 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNNY layak पुत्र/पुत्री श्री Sudarshan layak टोकन नं. 2740 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNNY layak पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sudarshan layak दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNNY layak पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sudarshan layak द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,Bank copy, Yashi copy
---	---------------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 569

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNNY layak पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sudarshan layak टोकन नं. 2740 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4780, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SABITRI BALA पुत्र/पुत्री श्री RADHANATH BALA टोकन नं. - 2751 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SABITRI BALA पुत्र/पुत्री श्री RADHANATH BALA टोकन नं. 2751 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SABITRI BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHANATH BALA दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SABITRI BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHANATH BALA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, RWA SLIP, Bank copy
---	---------------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 570

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SABITRI BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHANATH BALA टोकन नं. 2751 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5705, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411804, 2418549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHUSHILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री .UMAKANT JHA टोकन नं. - 2758 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHUSHILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री UMAKANT JHA टोकन नं. 2758 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHUSHILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...UMAKANT JHA दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHUSHILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMAKANT JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Bank copy
Ayshman card

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 571

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHUSHILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMAKANT JHA टोकन नं. 2758 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4246, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Omwati Dass पुत्र/पुत्री श्री Bhajan Lal टोकन नं. - 2761 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Omwati Dass पुत्र/पुत्री श्री Bhajan Lal टोकन नं. 2761 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Omwati Dass पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhajan Lal दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Omwati Dass पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhajan Lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 572

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Omwati Dass पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhajan Lal टोकन नं. 2761 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5642, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Babli Devi पुत्र/पुत्री श्री Naresh Singh टोकन नं. - 2787 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Babli Devi पुत्र/पुत्री श्री Naresh Singh टोकन नं. 2787 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Babli Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naresh Singh दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Babli Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naresh Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, Bank copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/573

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Babli Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naresh Singh टोकन नं. 2787 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5636, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री JAY SHRI LAL VISHWAKARMA टोकन नं. - 2788 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री JAY SHRI LAL VISHWAKARMA टोकन नं. 2788 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAY SHRI LAL VISHWAKARMA दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAY SHRI LAL VISHWAKARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, MEMBERSHIP CARD, DEATH
CERTIFICATE, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 574

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAY SHRI LAL VISHWAKARMA टोकन नं. 2788 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5001, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचना र्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Shakuntala Devi पुत्र/पुत्री श्री **Megh Singh** टोकन नं. - 2791 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Shakuntala Devi पुत्र/पुत्री श्री Megh Singh टोकन नं. 2791 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Shakuntala Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Megh Singh** दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Shakuntala Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Megh Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, Bank copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 575

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Shakuntala Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Megh Singh टोकन नं. 2791 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4943, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एच.आई.टी., फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax: 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUSTAKAHMAD पुत्र/पुत्री श्री NAWAB KHAN टोकन नं. - 2792 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUSTAKAHMAD पुत्र/पुत्री श्री NAWAB KHAN टोकन नं. 2792 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MUSTAKAHMAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAWAB KHAN दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MUSTAKAHMAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAWAB KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Bank copy, RWA SLIP
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 576

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MUSTAKAHMAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAWAB KHAN टोकन नं. 2792 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5712, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सैंक, एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Rekha Salami पुत्र/पुत्री श्री Ammar Salami टोकन नं. - 2798 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Rekha Salami पुत्र/पुत्री श्री Ammar Salami टोकन नं. 2798 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Rekha Salami पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ammar Salami दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Rekha Salami पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ammar Salami द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,DETAIL OF FAMILY

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 577

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Rekha Salami पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ammar Salami टोकन नं. 2798 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5229, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ratna Singh पुत्र/पुत्री श्री Puran Bahadur टोकन नं. - 2800 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ratna Singh पुत्र/पुत्री श्री Puran Bahadur टोकन नं. 2800 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Ratna Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Puran Bahadur दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Ratna Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Puran Bahadur द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,DETAIL OF FAMILY, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 578

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Ratna Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Puran Bahadur टोकन नं. 2800 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5230, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411694, 2416648
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Pramila Singh पुत्र/पुत्री श्री **Govind Singh** टोकन नं. - 2801 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Pramila Singh पुत्र/पुत्री श्री Govind Singh टोकन नं. 2801 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Pramila Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Govind Singh दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Pramila Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Govind Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,DETAIL OF FAMILY


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/579

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Pramila Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Govind Singh टोकन नं. 2801 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5231, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Prem Bati पुत्र/पुत्री श्री Ram Chand टोकन नं. - 2802 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Prem Bati पुत्र/पुत्री श्री Ram Chand टोकन नं. 2802 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Prem Bati पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Chand दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Prem Bati पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Chand द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 580

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Prem Bati पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Chand टोकन नं. 2802 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5606, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Pinki पुत्र/पुत्री श्री Ashok Kumar टोकन नं. - 2804 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Pinki पुत्र/पुत्री श्री Ashok Kumar टोकन नं. 2804 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Pinki पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ashok Kumar दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Pinki पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashok Kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024



आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/581

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Pinki पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashok Kumar टोकन नं. 2804 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5605, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Nirmala Singh पुत्र/पुत्री श्री .Sher Singh टोकन नं. - 2805 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Nirmala Singh पुत्र/पुत्री श्री Sher Singh टोकन नं. 2805 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Nirmala Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sher Singh दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Nirmala Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sher Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/582

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Nirmala Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sher Singh टोकन नं. 2805 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7273, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SURYAMAN पुत्र/पुत्री श्री .RAM SAMUJ टोकन नं. - 2813 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SURYAMAN पुत्र/पुत्री श्री RAM SAMUJ टोकन नं. 2813 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SURYAMAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .RAM SAMUJ दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SURYAMAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SAMUJ द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, HOUSE PHOTO, Bank copy, RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 583

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SURYAMAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SAMUJ टोकन नं. 2813 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5728, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.रोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NOORJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री श्री LAL MOHAMMAD टोकन नं. - 2830 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NOORJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री श्री LAL MOHAMMAD टोकन नं. 2830 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NOORJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAL MOHAMMAD दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NOORJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAL MOHAMMAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/584

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NOORJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAL MOHAMMAD टोकन नं. 2830 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5004, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHABNAM पुत्र/पुत्री श्री Hayat Khan टोकन नं. - 2834 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHABNAM पुत्र/पुत्री श्री Hayat Khan टोकन नं. 2834 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHABNAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hayat Khan दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHABNAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hayat Khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, SURVEY ID, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/585

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHABNAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hayat Khan टोकन नं. 2834 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5511, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANRIKA YADAV पुत्र/पुत्री श्री Bachcha yadav टोकन नं. - 2844 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANRIKA YADAV पुत्र/पुत्री श्री Bachcha yadav टोकन नं. 2844 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MANRIKA YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Bachcha yadav दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANRIKA YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bachcha yadav द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, REHABILITATION FORM, RWA SLIP
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 586

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANRIKA YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bachcha yadav टोकन नं. 2844 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5344, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411650, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VIKAS KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Ajay ram टोकन नं. - 2847 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VIKAS KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Ajay ram टोकन नं. 2847 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VIKAS KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ajay ram दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VIKAS KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ajay ram द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 587

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VIKAS KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ajay ram टोकन नं. 2847 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5549, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ratna Devi पुत्र/पुत्री श्री Suraj टोकन नं. - 2866 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ratna Devi पुत्र/पुत्री श्री Suraj टोकन नं. 2866 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Ratna Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Suraj दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Ratna Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Suraj द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,PPP,AFFIDAVI, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/588

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Ratna Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Suraj टोकन नं. 2866 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5924, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2413549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Subodh Kumar पुत्र/पुत्री श्री Ram Snehi टोकन नं. - 2868 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Subodh Kumar पुत्र/पुत्री श्री Ram Snehi टोकन नं. 2868 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Subodh Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Snehi दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Subodh Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Snehi द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, RWA SLIP, Bank copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/589

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Subodh Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Snehi टोकन नं. 2868 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5062, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAMMAD SHAHENSHAH पुत्र/पुत्री श्री **Mohammad mumtaj** टोकन नं. - 2874 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAMMAD SHAHENSHAH पुत्र/पुत्री श्री Mohammad mumtaj टोकन नं. 2874 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHAMMAD SHAHENSHAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohammad mumtaj दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAMMAD SHAHENSHAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad mumtaj द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 590

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHAMMAD SHAHENSHAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad mumtaj टोकन नं. 2874 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5547, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचना प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Birender Singh पुत्र/पुत्री श्री .Bajjnath Singh टोकन नं. - 2879 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Birender Singh पुत्र/पुत्री श्री Bajjnath Singh टोकन नं. 2879 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Birender Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Bajjnath Singh दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Birender Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bajjnath Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 591

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Birender Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bajjnath Singh टोकन नं. 2879 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4799, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PAPU PRASAD पुत्र/पुत्री श्री **Ram asre** टोकन नं. - 2880 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PAPU PRASAD पुत्र/पुत्री श्री Ram asre टोकन नं. 2880 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PAPU PRASAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ram asre दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PAPU PRASAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram asre द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Pan Card, PM-UDAY, Bank copy, N JUDIAL PAPER
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/592

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PAPU PRASAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram asre टोकन नं. 2880 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5287, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2412549
Fax : 0129-2416463

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUKESH CHAND पुत्र/पुत्री श्री SHIV RAM SINGH टोकन नं. - 2886 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUKESH CHAND पुत्र/पुत्री श्री SHIV RAM SINGH टोकन नं. 2886 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MUKESH CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SHIV RAM SINGH दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MUKESH CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV RAM SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/593

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MUKESH CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV RAM SINGH टोकन नं. 2886 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5514, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411634, 2411634/9
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KANWAL JIT KAUR पुत्र/पुत्री श्री BIHARI LAL टोकन नं. - 2900 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KANWAL JIT KAUR पुत्र/पुत्री श्री BIHARI LAL टोकन नं. 2900 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KANWAL JIT KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIHARI LAL दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KANWAL JIT KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIHARI LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP, Yashi copy, RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 594

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KANWAL JIT KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIHARI LAL टोकन नं. 2900 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4633, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VINOD पुत्र/पुत्री श्री Mohan lal टोकन नं. - 2908 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VINOD पुत्र/पुत्री श्री Mohan lal टोकन नं. 2908 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VINOD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohan lal दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VINOD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohan lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Yashi copy, SURVEY ID


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 595

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VINOD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohan lal टोकन नं. 2908 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5271, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANAND SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Arjun mistri टोकन नं. - 2912 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANAND SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Arjun mistri टोकन नं. 2912 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को घर्षाप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री ANAND SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun mistri दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANAND SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun mistri द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, SURVEY ID, AGANWARI CARD, MEMBERSHIP CARD, YASHI CARD
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0न0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 596

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANAND SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun mistri टोकन नं. 2912 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5444, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MEHARUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री Mohd izrail टोकन नं. - 2916 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MEHARUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री Mohd izrail टोकन नं. 2916 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतू बुलाया गया ।

श्री MEHARUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohd izrail दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतू सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतू विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतू व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतू पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MEHARUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd izrail द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, GAS COPY,
REHABILITATION FORM, Yashi copy


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/597

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MEHARUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd izrail टोकन नं. 2916 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5524, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sanju devi पुत्र/पुत्री श्री Shashi Kant shArma टोकन नं. - 2919 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sanju devi पुत्र/पुत्री श्री Shashi Kant shArma टोकन नं. 2919 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Sanju devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Shashi Kant shArma दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sanju devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shashi Kant shArma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card
---	-------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/598

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sanju devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shashi Kant shArma टोकन नं. 2919 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5362, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.बोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411054, 2416549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Aabha Devi पुत्र/पुत्री श्री Shambhu Prasad Singh टोकन नं. - 2921 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Aabha Devi पुत्र/पुत्री श्री Shambhu Prasad Singh टोकन नं. 2921 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Aabha Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Shambhu Prasad Singh दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Aabha Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shambhu Prasad Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 599

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Aabha Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shambhu Prasad Singh टोकन नं. 2921 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5363, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Guddi Devi पुत्र/पुत्री श्री Vinod kumar टोकन नं. - 2924 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Guddi Devi पुत्र/पुत्री श्री Vinod kumar टोकन नं. 2924 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Guddi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Vinod kumar दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Guddi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinod kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 600

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Guddi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinod kumar टोकन नं. 2924 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5364, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Anand Kumar पुत्र/पुत्री श्री .Shiv Dutt singh टोकन नं. - 2926 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Anand Kumar पुत्र/पुत्री श्री Shiv Dutt singh टोकन नं. 2926 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Anand Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Shiv Dutt singh दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Anand Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shiv Dutt singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 601

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Anand Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shiv Dutt singh टोकन नं. 2926 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5361, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.नोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD SAMIM टोकन नं. - 2946 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD SAMIM टोकन नं. 2946 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD SAMIM दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD SAMIM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP,
---	-------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/602

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD SAMIM टोकन नं. 2946 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5119, 6798, 29.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHAHNAZ पुत्र/पुत्री श्री .Mohammad Hashim टोकन नं. - 2953 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHAHNAZ पुत्र/पुत्री श्री Mohammad Hashim टोकन नं. 2953 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SHAHNAZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .Mohammad Hashim दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHAHNAZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad Hashim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/603

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHAHNAZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad Hashim टोकन नं. 2953 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5100, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129 2411649, 2411664, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SABINA BIBI पुत्र/पुत्री श्री MEERHASAN FAKEER टोकन नं. - 2954 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SABINA BIBI पुत्र/पुत्री श्री MEERHASAN FAKEER टोकन नं. 2954 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SABINA BIBI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MEERHASAN FAKEER दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SABINA BIBI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MEERHASAN FAKEER द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/604

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SABINA BIBI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MEERHASAN FAKEER टोकन नं. 2954 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5541, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001. हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SIDHESHWAr PANDIT पुत्र/पुत्री श्री Jagdish pandit टोकन नं. - 2955 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SIDHESHWAr PANDIT पुत्र/पुत्री श्री Jagdish pandit टोकन नं. 2955 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SIDHESHWAr PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jagdish pandit दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SIDHESHWAr PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jagdish pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 605

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SIDHESHWAr PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jagdish pandit टोकन नं. 2955 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4959, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2411549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुनर्वास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHAYAM SINGH पुत्र/पुत्री श्री .BOKU SINGH टोकन नं. - 2956 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHAYAM SINGH पुत्र/पुत्री श्री BOKU SINGH टोकन नं. 2956 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHAYAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..BOKU SINGH दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHAYAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BOKU SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,FAMILY DETAILS

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 606

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHAYAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BOKU SINGH टोकन नं. 2956 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4835, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GAUTAM MANDAL पुत्र/पुत्री श्री GOPAL MANDAL टोकन नं. - 2985 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GAUTAM MANDAL पुत्र/पुत्री श्री GOPAL MANDAL टोकन नं. 2985 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GAUTAM MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...GOPAL MANDAL दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GAUTAM MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GOPAL MANDAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Driving Licence, GAS COPY, Bank copy, Yashi copy, RWA SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/607

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GAUTAM MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GOPAL MANDAL टोकन नं. 2985 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5722, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM LAKHAN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Nanku parshad टोकन नं. - 3000 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM LAKHAN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Nanku parshad टोकन नं. 3000 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM LAKHAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanku parshad दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM LAKHAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanku parshad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/608

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM LAKHAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanku parshad टोकन नं. 3000 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4963, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री QURBAN पुत्र/पुत्री श्री .KALAM टोकन नं. - 3005 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री QURBAN पुत्र/पुत्री श्री KALAM टोकन नं. 3005 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री QURBAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KALAM दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री QURBAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KALAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 609

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री QURBAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KALAM टोकन नं. 3005 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5506, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.जी.के., एन.आई.टी., फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-241649, 2411664, 2416519
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NIKHAT BEGAM पुत्र/पुत्री श्री **Mohammad vakil** टोकन नं. - 3021 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NIKHAT BEGAM पुत्र/पुत्री श्री Mohammad vakil टोकन नं. 3021 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री NIKHAT BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohammad vakil दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NIKHAT BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad vakil द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, PPP, Bank copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 610

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NIKHAT BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad vakil टोकन नं. 3021 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5487, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

टी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM DULARA टोकन नं. - 3036 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM DULARA टोकन नं. 3036 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM DULARA दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM DULARA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, RWA SLIP


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 611

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM DULARA टोकन नं. 3036 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4673, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Basudev पुत्र/पुत्री श्री **Munshi Lal** टोकन नं. - 3042 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Basudev पुत्र/पुत्री श्री **Munshi Lal** टोकन नं. 3042 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Basudev पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Munshi Lal** दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Basudev पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Munshi Lal** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/612

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Basudev पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Munshi Lal** टोकन नं. 3042 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5204, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BABBO पुत्र/पुत्री श्री NABIYA टोकन नं. - 3048 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BABBO पुत्र/पुत्री श्री NABIYA टोकन नं. 3048 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BABBO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NABIYA दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BABBO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NABIYA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Pan Card, RWA SLIP, Bank copy,
Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/613

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BABBO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NABIYA टोकन नं. 3048 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4679, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2418519
Fax : 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रदद आवेदन के विरुद्ध श्री NUTAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री DIVAKAR CHAURASIYA टोकन नं. - 3051 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रदद कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NUTAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री DIVAKAR CHAURASIYA टोकन नं. 3051 का आवेदन भी रदद कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NUTAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DIVAKAR CHAURASIYA दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NUTAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DIVAKAR CHAURASIYA द्वारा दायर अपील को रदद किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/614

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NUTAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DIVAKAR CHAURASIYA टोकन नं. 3051 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5819, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116519
Fax : 0129-2411648

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHEELA पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL MODI टोकन नं. - 3052 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHEELA पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL MODI टोकन नं. 3052 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHEELA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL MODI दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHEELA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL MODI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 615

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHEELA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL MODI टोकन नं. 3052 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5818, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNEEL PAL पुत्र/पुत्री श्री RAM BHAJAN टोकन नं. - 3057 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNEEL PAL पुत्र/पुत्री श्री RAM BHAJAN टोकन नं. 3057 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SUNEEL PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM BHAJAN दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNEEL PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BHAJAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/616

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNEEL PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BHAJAN टोकन नं. 3057 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5010, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LAL BABU RAJAK पुत्र/पुत्री श्री .Sita ram rajak टोकन नं. - 3082 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LAL BABU RAJAK पुत्र/पुत्री श्री Sita ram rajak टोकन नं. 3082 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री LAL BABU RAJAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sita ram rajak दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री LAL BABU RAJAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sita ram rajak द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, RWA SLIP
---	----------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 617

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री LAL BABU RAJAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sita ram rajak टोकन नं. 3082 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5277, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.जी.क. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAKHI पुत्र/पुत्री श्री Laxman टोकन नं. - 3084 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAKHI पुत्र/पुत्री श्री Laxman टोकन नं. 3084 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री RAKHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Laxman दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAKHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Laxman द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ00/ए0ई0ओ0/2024/618

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAKHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Laxman टोकन नं. 3084 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5365, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.नोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KALLU पुत्र/पुत्री श्री Deepa टोकन नं. - 3101 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KALLU पुत्र/पुत्री श्री Deepa टोकन नं. 3101 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री KALLU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Deepa दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KALLU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Deepa द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, GPA
---	-----------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/619

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KALLU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Deepa टोकन नं. 3101 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5617, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411848, 2411864, 2415548
Fax : 0129-2416486

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री श्री ALI RAJA टोकन नं. - 3112 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री श्री ALI RAJA टोकन नं. 3112 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ALI RAJA दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ALI RAJA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, Pan Card, RWA SLIP, census slip
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/620

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ALI RAJA टोकन नं. 3112 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6497, 19.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411654, 24116549
Fax : 0129-24116485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Wilson kondpan पुत्र/पुत्री श्री .Yakub kondpan टोकन नं. - 3117 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Wilson kondpan पुत्र/पुत्री श्री Yakub kondpan टोकन नं. 3117 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Wilson kondpan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Yakub kondpan दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Wilson kondpan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Yakub kondpan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/621

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Wilson kondpan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Yakub kondpan टोकन नं. 3117 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4778, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA पुत्र/पुत्री श्री Mantu टोकन नं. - 3119 द्वारा अपील के निगर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA पुत्र/पुत्री श्री Mantu टोकन नं. 3119 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SUNITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mantu दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mantu द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy, Yashi copy
---	------------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/622

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mantu टोकन नं. 3119 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4803, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ब्लॉक, एन.आई.पी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2416548
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAVITA पुत्र/पुत्री श्री RAM KHILAWAN टोकन नं. - 3126 द्वारा अपील के निगर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAVITA पुत्र/पुत्री श्री RAM KHILAWAN टोकन नं. 3126 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAVITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM KHILAWAN दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAVITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KHILAWAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

MEMBER CERTIFICATE

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ00/ए0ई0ओ0/2024/623

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAVITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KHILAWAN टोकन नं. 3126 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5972, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 24116649
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Savita Devi पुत्र/पुत्री श्री **Manoj Kumar Singh** टोकन नं. - 3140 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Savita Devi पुत्र/पुत्री श्री Manoj Kumar Singh टोकन नं. 3140 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Savita Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Manoj Kumar Singh** दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Savita Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj Kumar Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, Bank copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 624

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Savita Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj Kumar Singh टोकन नं. 3140 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5236, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411849, 2411864, 2416549
Fax : 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी बुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Arvind टोकन नं. - 3145 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Arvind टोकन नं. 3145 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Arvind दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arvind द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/625

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arvind टोकन नं. 3145 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4731, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411634, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Haidar Ali पुत्र/पुत्री श्री Mohd Fordosh टोकन नं. - 3146 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Haidar Ali पुत्र/पुत्री श्री Mohd Fordosh टोकन नं. 3146 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Haidar Ali पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Fordosh दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Haidar Ali पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Fordosh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	,SURVEY FORM
---	--------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/626

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Haidar Ali पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Fordosh टोकन नं. 3146 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5405, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2419465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Poonam Devi पुत्र/पुत्री श्री Ajay kumar Sharma टोकन नं. - 3147 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Poonam Devi पुत्र/पुत्री श्री Ajay kumar Sharma टोकन नं. 3147 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Poonam Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ajay kumar Sharma दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Poonam Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ajay kumar Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 627

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Poonam Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ajay kumar Sharma टोकन नं. 3147 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5550, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

भी.के.ब्लॉक, एन.आई.सी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2419465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LAXMAN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री GANESH SHARMA टोकन नं. - 3151 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LAXMAN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री GANESH SHARMA टोकन नं. 3151 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री LAXMAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...GANESH SHARMA दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री LAXMAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANESH SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/628

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री LAXMAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANESH SHARMA टोकन नं. 3151 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5713, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2415495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MODHRI SINGH टोकन नं. - 3155 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MODHRI SINGH टोकन नं. 3155 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MODHRI SINGH दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MODHRI SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 629

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MODHRI SINGH टोकन नं. 3155 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5325 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2412549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KAPIL MANJI पुत्र/पुत्री श्री Kameshwar manji टोकन नं. - 3167 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KAPIL MANJI पुत्र/पुत्री श्री Kameshwar manji टोकन नं. 3167 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KAPIL MANJI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Kameshwar manji दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KAPIL MANJI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kameshwar manji द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/630

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KAPIL MANJI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kameshwar manji टोकन नं. 3167 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4681, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RADHESHYAM SINGH टोकन नं. - 3168 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RADHESHYAM SINGH टोकन नं. 3168 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RADHESHYAM SINGH दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHESHYAM SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 631

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHESHYAM SINGH टोकन नं. 3168 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5326, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.नोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BABULAL पुत्र/पुत्री श्री Naval kishan टोकन नं. - 3169 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BABULAL पुत्र/पुत्री श्री Naval kishan टोकन नं. 3169 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री BABULAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naval kishan दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BABULAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naval kishan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/632

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BABULAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naval kishan टोकन नं. 3169 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5610, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NASEEM BEGAM पुत्र/पुत्री श्री RAJJAK MASTER टोकन नं. - 3174 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NASEEM BEGAM पुत्र/पुत्री श्री RAJJAK MASTER टोकन नं. 3174 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतू बुलाया गया ।

श्री NASEEM BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJJAK MASTER दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतू सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतू विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतू व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतू पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NASEEM BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJJAK MASTER द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, RWA SLIP, Yashi copy
---	--



आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

दिनांक: 09.05.2024

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/633

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NASEEM BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJJAK MASTER टोकन नं. 3174 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4790, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411854, 2415849
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mohd SAJID पुत्र/पुत्री श्री MOINUDDIN टोकन नं. - 3177 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mohd SAJID पुत्र/पुत्री श्री MOINUDDIN टोकन नं. 3177 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mohd SAJID पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOINUDDIN दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mohd SAJID पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOINUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Driving Licence, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/634

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mohd SAJID पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOINUDDIN टोकन नं. 3177 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5526, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

k
क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116548
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RADHEY SHYAM पुत्र/पुत्री श्री RAM BRIJ टोकन नं. - 3183 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RADHEY SHYAM पुत्र/पुत्री श्री RAM BRIJ टोकन नं. 3183 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RADHEY SHYAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM BRIJ दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RADHEY SHYAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BRIJ द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 635

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RADHEY SHYAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BRIJ टोकन नं. 3183 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5241, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.एच.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANKIT पुत्र/पुत्री श्री **Bansi Lal** टोकन नं. - 3191 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANKIT पुत्र/पुत्री श्री Bansi Lal टोकन नं. 3191 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ANKIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Bansi Lal दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANKIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bansi Lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,HOUSE PHOTO
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/636

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANKIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bansi Lal टोकन नं. 3191 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4830, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



FARIDABAD
MUNICIPAL CORPORATION

फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411049, 2411864, 2415548
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RANJIT YADAV पुत्र/पुत्री श्री SURESH YADAV टोकन नं. - 3192 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RANJIT YADAV पुत्र/पुत्री श्री SURESH YADAV टोकन नं. 3192 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RANJIT YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURESH YADAV दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RANJIT YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURESH YADAV द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 637

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RANJIT YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURESH YADAV टोकन नं. 3192 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5307, 04..05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001. हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411849, 2411864, 2415519
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Hasibun पुत्र/पुत्री श्री **Mohammad rozeed** टोकन नं. - 3193 द्वारा अपील के निणर्थ बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Hasibun पुत्र/पुत्री श्री **Mohammad rozeed** टोकन नं. 3193 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Hasibun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...**Mohammad rozeed** दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Hasibun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Mohammad rozeed** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,GPA
---	---------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 638

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Hasibun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Mohammad rozeed** टोकन नं. 3193 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5725, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411064, 2415549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AVIAD ALAM पुत्र/पुत्री श्री JAVED ANSARI टोकन नं. - 3201 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AVIAD ALAM पुत्र/पुत्री श्री JAVED ANSARI टोकन नं. 3201 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 04.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AVIAD ALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAVED ANSARI दिनांक 04.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AVIAD ALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAVED ANSARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : n0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 639

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AVIAD ALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAVED ANSARI टोकन नं. 3201 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 0 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.गौक, एन.आइ.टी. फरीदाबाद-121001. हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2413495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAHJADI KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD ISLAM टोकन नं. - 3204 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAHJADI KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD ISLAM टोकन नं. 3204 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAHJADI KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ISLAM दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAHJADI KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ISLAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,PROPERTY DETAIL, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 640

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAHJADI KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ISLAM टोकन नं. 3204 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5539, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



NATIONAL CORPORATION
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.श्रीक, एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VIMLESH पुत्र/पुत्री श्री RAM KESH टोकन नं. - 3207 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VIMLESH पुत्र/पुत्री श्री RAM KESH टोकन नं. 3207 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेदों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VIMLESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM KESH दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VIMLESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KESH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/641

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VIMLESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KESH टोकन नं. 3207 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5152, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHANDRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Kishor pandit टोकन नं. - 3214 द्वारा अपील के निगम्य बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHANDRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Kishor pandit टोकन नं. 3214 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री CHANDRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Kishor pandit दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHANDRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kishor pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy
---	--



आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

दिनांक: 09.05.2024

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/642

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री CHANDRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kishor pandit टोकन नं. 3214 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5151, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2416649
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BHIKAM SINGH पुत्र/पुत्री श्री ANAND SINGH टोकन नं. - 3220 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BHIKAM SINGH पुत्र/पुत्री श्री ANAND SINGH टोकन नं. 3220 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BHIKAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ANAND SINGH दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BHIKAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANAND SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, AFFIDAVATE

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/643

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BHIKAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANAND SINGH टोकन नं. 3220 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5029, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mohd ali पुत्र/पुत्री श्री Juma rahim टोकन नं. - 3232 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mohd ali पुत्र/पुत्री श्री Juma rahim टोकन नं. 3232 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mohd ali पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Juma rahim दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mohd ali पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Juma rahim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Yashi copy, REHABILITATION FORM
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : n0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/644

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mohd ali पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Juma rahim टोकन नं. 3232 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5357, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

भी.के.नोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री URMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Rupan pandit टोकन नं. - 3234 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री URMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Rupan pandit टोकन नं. 3234 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री URMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rupan pandit दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री URMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rupan pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 645

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री URMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rupan pandit टोकन नं. 3234 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4957, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2418549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Abid ali nasai पुत्र/पुत्री श्री **Jumarahim** टोकन नं. - 3237 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Abid ali nasai पुत्र/पुत्री श्री Jumarahim टोकन नं. 3237 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Abid ali nasai पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Jumarahim** दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Abid ali nasai पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jumarahim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Yashi copy, REHABILITATION FORM

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 646

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Abid ali nasai पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jumarahim टोकन नं. 3237 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5358, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SEEMA VARMA पुत्र/पुत्री श्री Sobran Varma टोकन नं. - 3257 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SEEMA VARMA पुत्र/पुत्री श्री Sobran Varma टोकन नं. 3257 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SEEMA VARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sobran Varma दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SEEMA VARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sobran Varma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,PPP,
---	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/647

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SEEMA VARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sobran Varma टोकन नं. 3257 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5877, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416435

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री श्री DUHKHA EKKA टोकन नं. - 3265 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री श्री DUHKHA EKKA टोकन नं. 3265 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DUHKHA EKKA दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DUHKHA EKKA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	
--	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 648

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DUHKHA EKKA टोकन नं. 3265 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5366 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SARITA DAVI पुत्र/पुत्री श्री SURESH SINGH टोकन नं. - 3266 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SARITA DAVI पुत्र/पुत्री श्री SURESH SINGH टोकन नं. 3266 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SARITA DAVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SURESH SINGH दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SARITA DAVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURESH SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,SURVEY ID, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 649

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SARITA DAVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURESH SINGH टोकन नं. 3266 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4645, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PARVEEN BOBI पुत्र/पुत्री श्री SHER MOHAMMAD टोकन नं. - 3278 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PARVEEN BOBI पुत्र/पुत्री श्री SHER MOHAMMAD टोकन नं. 3278 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PARVEEN BOBI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHER MOHAMMAD दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PARVEEN BOBI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHER MOHAMMAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फर0/ए0ई0ओ0/2024/650

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PARVEEN BOBI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHER MOHAMMAD टोकन नं. 3278 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5719, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करार्धान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.रौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AASHAROW पुत्र/पुत्री श्री RAGUBEER YAADVE टोकन नं. - 3282 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AASHAROW पुत्र/पुत्री श्री RAGUBEER YAADVE टोकन नं. 3282 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AASHAROW पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAGUBEER YAADVE दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AASHAROW पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAGUBEER YAADVE द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, SURVEY ID, SCHOOL ID CARD

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/651

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AASHAROW पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAGUBEER YAADVE टोकन नं. 3282 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4710, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411984, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAMENDER SINGH पुत्र/पुत्री श्री .SATDEV SINGH टोकन नं. - 3285 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAMENDER SINGH पुत्र/पुत्री श्री SATDEV SINGH टोकन नं. 3285 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAMENDER SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SATDEV SINGH दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAMENDER SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SATDEV SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy, Bank copy
---	----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/652

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAMENDER SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SATDEV SINGH टोकन नं. 3285 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4896, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं किराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUSHMA LAKRA पुत्र/पुत्री श्री KULIKARFEKKA टोकन नं. - 3289 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUSHMA LAKRA पुत्र/पुत्री श्री KULIKARFEKKA टोकन नं. 3289 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतू बुलाया गया ।

श्री SUSHMA LAKRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KULIKARFEKKA दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतू सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतू विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतू व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतू पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUSHMA LAKRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KULIKARFEKKA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, SURVEY ID, LABOUR CARD, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0न0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 653

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUSHMA LAKRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KULIKARFEKKA टोकन नं. 3289 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4708, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.मोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tcl : 0129-2411648, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RENU DAVI पुत्र/पुत्री श्री LAKSHMI RAM टोकन नं. - 3290 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RENU DAVI पुत्र/पुत्री श्री LAKSHMI RAM टोकन नं. 3290 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RENU DAVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...LAKSHMI RAM दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RENU DAVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAKSHMI RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 654

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RENU DAVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAKSHMI RAM टोकन नं. 3290 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4860, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411661, 2415249
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJU पुत्र/पुत्री श्री SHRI MOHAN LAL टोकन नं. - 3304 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJU पुत्र/पुत्री श्री SHRI MOHAN LAL टोकन नं. 3304 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SHRI MOHAN LAL दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI MOHAN LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP, DEATIL OF FAMILY, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 655

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRI MOHAN LAL टोकन नं. 3304 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5198, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री REETA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMAKANT MAURYA टोकन नं. - 3314 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री REETA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMAKANT MAURYA टोकन नं. 3314 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री REETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMAKANT MAURYA दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री REETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMAKANT MAURYA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 656

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री REETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMAKANT MAURYA टोकन नं. 3314 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4953, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Indu Devi पुत्र/पुत्री श्री Birdhi Chand Nishad टोकन नं. - 3328 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Indu Devi पुत्र/पुत्री श्री Birdhi Chand Nishad टोकन नं. 3328 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Indu Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Birdhi Chand Nishad दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Indu Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Birdhi Chand Nishad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/657

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Indu Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Birdhi Chand Nishad टोकन नं. 3328 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5769, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241648, 2411664, 2416648
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mandira Rana पुत्र/पुत्री श्री Harish Rana टोकन नं. - 3335 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mandira Rana पुत्र/पुत्री श्री Harish Rana टोकन नं. 3335 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mandira Rana पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Harish Rana दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mandira Rana पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Harish Rana द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Yashbi copy
---	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 658

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mandira Rana पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Harish Rana टोकन नं. 3335 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5535, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ROSHAN पुत्र/पुत्री श्री JIBACH MANSURI टोकन नं. - 3342 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ROSHAN पुत्र/पुत्री श्री JIBACH MANSURI टोकन नं. 3342 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ROSHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...JIBACH MANSURI दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ROSHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JIBACH MANSURI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/659

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ROSHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JIBACH MANSURI टोकन नं. 3342 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4831, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sapna Devi पुत्र/पुत्री श्री Markanday kumar टोकन नं. - 3345 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sapna Devi पुत्र/पुत्री श्री Markanday kumar टोकन नं. 3345 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sapna Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Markanday kumar दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sapna Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Markanday kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,REHABILITATION FORM,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/660

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sapna Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Markanday kumar टोकन नं. 3345 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5369, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411065, 2415519
Fax: 0129-2419405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sumit Kumar पुत्र/पुत्री श्री Jagganath Choudhary टोकन नं. - 3346 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sumit Kumar पुत्र/पुत्री श्री Jagganath Choudhary टोकन नं. 3346 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sumit Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jagganath Choudhary दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sumit Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jagganath Choudhary द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP,
---	-------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/661

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sumit Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jagganath Choudhary टोकन नं. 3346 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6065, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHILVANTA पुत्र/पुत्री श्री RAM SHARIK CHAUHAN टोकन नं. - 3359 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHILVANTA पुत्र/पुत्री श्री RAM SHARIK CHAUHAN टोकन नं. 3359 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHILVANTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM SHARIK CHAUHAN दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHILVANTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SHARIK CHAUHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card
---	-------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/662

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHILVANTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SHARIK CHAUHAN टोकन नं. 3359 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5466, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.नौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Shanti devi पुत्र/पुत्री श्री .Manoj kumar टोकन नं. - 3361 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Shanti devi पुत्र/पुत्री श्री Manoj kumar टोकन नं. 3361 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Shanti devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Manoj kumar दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Shanti devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,
---	------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0न0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 663

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Shanti devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj kumar टोकन नं. 3361 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5291, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJ KISHOR RAM पुत्र/पुत्री श्री BHULESHWAR RAM टोकन नं. - 3383 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJ KISHOR RAM पुत्र/पुत्री श्री BHULESHWAR RAM टोकन नं. 3383 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJ KISHOR RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHULESHWAR RAM दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJ KISHOR RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHULESHWAR RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/664

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJ KISHOR RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHULESHWAR RAM टोकन नं. 3383 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5736, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411894, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MEENU पुत्र/पुत्री श्री **manoj** टोकन नं. - 3392 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MEENU पुत्र/पुत्री श्री **manoj** टोकन नं. 3392 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MEENU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **manoj** दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MEENU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **manoj** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	REHABILITATION FORM,
---	----------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 665

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MEENU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **manoj** टोकन नं. 3392 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5031, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.यॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PARVEEN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री dhoormal टोकन नं. - 3395 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PARVEEN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री dhoormal टोकन नं. 3395 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PARVEEN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...dhoormal दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PARVEEN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री dhoormal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, Bank copy,
REHABILITATION FORM

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/666

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PARVEEN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री dhoormal टोकन नं. 3395 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5420, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD HASEEM पुत्र/पुत्री श्री MD JAAN टोकन नं. - 3396 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD HASEEM पुत्र/पुत्री श्री MD JAAN टोकन नं. 3396 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MD HASEEM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MD JAAN दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MD HASEEM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD JAAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/667

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MD HASEEM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD JAAN टोकन नं. 3396 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5213, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHOSIN पुत्र/पुत्री श्री .md salim टोकन नं. - 3399 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHOSIN पुत्र/पुत्री श्री md salim टोकन नं. 3399 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री MOHOSIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...md salim दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHOSIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री md salim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Pan Card, Driving Licence, REHABILITATION FORM
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 668

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHOSIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री md salim टोकन नं. 3399 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5033, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री REKHA पुत्र/पुत्री श्री dhara singh टोकन नं. - 3405 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री REKHA पुत्र/पुत्री श्री dhara singh टोकन नं. 3405 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री REKHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...dhara singh दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री REKHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री dhara singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Yashi copy
---	------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/669

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री REKHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री dhara singh टोकन नं. 3405 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5023, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NARESH पुत्र/पुत्री श्री **mange ram** टोकन नं. - 3408 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NARESH पुत्र/पुत्री श्री **mange ram** टोकन नं. 3408 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NARESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **mange ram** दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NARESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **mange ram** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy
---	------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/670

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NARESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **mange ram** टोकन नं. 3408 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5104, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2411645

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAMMAD NAISM ANSARI पुत्र/पुत्री श्री **sadrudin ansari** टोकन नं. - 3416 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAMMAD NAISM ANSARI पुत्र/पुत्री श्री **sadrudin ansari** टोकन नं. 3416 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHAMMAD NAISM ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...**sadrudin ansari** दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAMMAD NAISM ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **sadrudin ansari** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Yashi copy
---	-------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/671

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHAMMAD NAISM ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **sadrudin ansari** टोकन नं. 3416 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5421, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411849, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAVITRI DEVI पुत्र/पुत्री श्री .PATI DEVI टोकन नं. - 3427 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAVITRI DEVI पुत्र/पुत्री श्री PATI DEVI टोकन नं. 3427 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAVITRI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...PATI DEVI दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAVITRI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PATI DEVI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 672

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAVITRI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PATI DEVI टोकन नं. 3427 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4940, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD ARSHAD पुत्र/पुत्री श्री MD GULAB टोकन नं. - 3431 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD ARSHAD पुत्र/पुत्री श्री MD GULAB टोकन नं. 3431 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MD ARSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD GULAB दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MD ARSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD GULAB द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, GAS COPY


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/673

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MD ARSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD GULAB टोकन नं. 3431 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5513, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क, एम.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411619, 2411664, 2415649
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ganeshi Devi पुत्र/पुत्री श्री Bachhi Ram टोकन नं. - 3436 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ganeshi Devi पुत्र/पुत्री श्री Bachhi Ram टोकन नं. 3436 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Ganeshi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bachhi Ram दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Ganeshi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bachhi Ram द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy
---	-------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/674

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Ganeshi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bachhi Ram टोकन नं. 3436 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4848, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415849
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MO ANISH पुत्र/पुत्री श्री Mo Hafiz टोकन नं. - 3438 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MO ANISH पुत्र/पुत्री श्री Mo Hafiz टोकन नं. 3438 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री MO ANISH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mo Hafiz दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MO ANISH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mo Hafiz द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, PPP, Bank copy, Affidavit
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/675

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MO ANISH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mo Hafiz टोकन नं. 3438 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4709, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.को.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415519
Fax: 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SIMPI DEVI पुत्र/पुत्री श्री Vilash mistiri टोकन नं. - 3444 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SIMPI DEVI पुत्र/पुत्री श्री Vilash mistiri टोकन नं. 3444 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SIMPI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Vilash mistiri दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SIMPI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vilash mistiri द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/676

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SIMPI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vilash mistiri टोकन नं. 3444 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5817, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411684, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री HARE RAM PARSHAD पुत्र/पुत्री श्री Dev kalyan parshad टोकन नं. - 3448 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री HARE RAM PARSHAD पुत्र/पुत्री श्री Dev kalyan parshad टोकन नं. 3448 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री HARE RAM PARSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Dev kalyan parshad दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री HARE RAM PARSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dev kalyan parshad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 677

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री HARE RAM PARSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dev kalyan parshad टोकन नं. 3448 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5218, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24115549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री INDU DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM NARESH GUPTA टोकन नं. - 3470 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री INDU DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM NARESH GUPTA टोकन नं. 3470 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री INDU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..RAM NARESH GUPTA दिनांक 05.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री INDU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM NARESH GUPTA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, YAHSI COPY, BIRTH CERTIFICATE, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 678

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री INDU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM NARESH GUPTA टोकन नं. 3470 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5237, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411889, 2411864, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Hemant kumar पुत्र/पुत्री श्री Maheswar pradhan टोकन नं. - 3479 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Hemant kumar पुत्र/पुत्री श्री Maheswar pradhan टोकन नं. 3479 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Hemant kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Maheswar pradhan दिनांक 06.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Hemant kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Maheswar pradhan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Pan Card, Bank copy, DETAIL OF FAMILY, INDIAN JUDICIAL PAPER
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 679

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Hemant kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Maheswar pradhan टोकन नं. 3479 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5288, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Faridabad Municipal Corporation
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ABDUL MANNAN पुत्र/पुत्री श्री Md. JALALUDDIN टोकन नं. - 3480 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ABDUL MANNAN पुत्र/पुत्री श्री Md. JALALUDDIN टोकन नं. 3480 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ABDUL MANNAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Md. JALALUDDIN दिनांक 06.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ABDUL MANNAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md. JALALUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy, census slip, Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/680

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ABDUL MANNAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md. JALALUDDIN टोकन नं. 3480 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5239, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHANOVER KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Rabani टोकन नं. - 3481 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHANOVER KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Rabani टोकन नं. 3481 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SHANOVER KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Rabani दिनांक 06.07.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHANOVER KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rabani द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy, SBI A/c, Elec. Bill, Affidavit, CENSUS COPY
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/681

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHANOVER KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rabani टोकन नं. 3481 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5970, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411646, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DEEPAK KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Harish kumar टोकन नं. - 3482 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0-डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DEEPAK KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Harish kumar टोकन नं. 3482 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2026 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DEEPAK KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Harish kumar दिनांक 06.07.2026 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DEEPAK KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Harish kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Aayshman card, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 682

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DEEPAK KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Harish kumar टोकन नं. 3482 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5015, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री FARJANA BEGAM पुत्र/पुत्री श्री **MD. Salim** टोकन नं. - 3487 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री FARJANA BEGAM पुत्र/पुत्री श्री MD. Salim टोकन नं. 3487 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2027 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री FARJANA BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MD. Salim दिनांक 06.07.2027 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री FARJANA BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. Salim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 683

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री FARJANA BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. Salim टोकन नं. 3487 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5955, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AATARUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री Hasan Ali टोकन नं. - 3492 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AATARUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री Hasan Ali टोकन नं. 3492 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AATARUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Hasan Ali दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AATARUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hasan Ali द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,Yashi copy
---	----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/684

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AATARUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hasan Ali टोकन नं. 3492 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5551, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411629, 2411632, 2415549
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री REENA पुत्र/पुत्री श्री BHURE SHINGH टोकन नं. - 3495 द्वारा अपील के निगम्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री REENA पुत्र/पुत्री श्री BHURE SHINGH टोकन नं. 3495 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2029 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री REENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BHURE SHINGH दिनांक 06.07.2029 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री REENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHURE SHINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/685

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री REENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHURE SHINGH टोकन नं. 3495 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5973, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.यॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJESH BHAGAT KUSHWAHA पुत्र/पुत्री श्री KHENAR BHAGAT टोकन नं. - 3505 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJESH BHAGAT KUSHWAHA पुत्र/पुत्री श्री KHENAR BHAGAT टोकन नं. 3505 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2030 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJESH BHAGAT KUSHWAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KHENAR BHAGAT दिनांक 06.07.2030 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJESH BHAGAT KUSHWAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KHENAR BHAGAT द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/686

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJESH BHAGAT KUSHWAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KHENAR BHAGAT टोकन नं. 3505 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5146, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416849
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AMAR JEET KAUR पुत्र/पुत्री श्री MAHENDRA SINGH टोकन नं. - 3515 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AMAR JEET KAUR पुत्र/पुत्री श्री MAHENDRA SINGH टोकन नं. 3515 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2031 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AMAR JEET KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHENDRA SINGH दिनांक 06.07.2031 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AMAR JEET KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHENDRA SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,RWA SLIP
---	--------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/687

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AMAR JEET KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAHENDRA SINGH टोकन नं. 3515 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5338, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411654, 2415548
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VANDANA पुत्र/पुत्री श्री BABU RAM टोकन नं. - 3517 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VANDANA पुत्र/पुत्री श्री BABU RAM टोकन नं. 3517 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2032 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VANDANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU RAM दिनांक 06.07.2032 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VANDANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP, AGREEMENT TO SELL & PURCHASE

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/688

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VANDANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU RAM टोकन नं. 3517 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5339, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANVEER KAUR पुत्र/पुत्री श्री KARTAR SINGH टोकन नं. - 3518 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANVEER KAUR पुत्र/पुत्री श्री KARTAR SINGH टोकन नं. 3518 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MANVEER KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KARTAR SINGH दिनांक 06.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANVEER KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KARTAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 689

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANVEER KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KARTAR SINGH टोकन नं. 3518 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5341, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PREM KAUR पुत्र/पुत्री श्री NARAYAN SINGH टोकन नं. - 3519 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PREM KAUR पुत्र/पुत्री श्री NARAYAN SINGH टोकन नं. 3519 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PREM KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...NARAYAN SINGH दिनांक 06.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PREM KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/690

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PREM KAUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN SINGH टोकन नं. 3519 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5340, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

पी.के.नोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415249
Fax : 0129-2410485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NANDI DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARAD RAM टोकन नं. - 3520 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NANDI DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARAD RAM टोकन नं. 3520 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06:07.2035 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NANDI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...NARAD RAM दिनांक 06.07.2035 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NANDI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAD RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,RWA SLIP, REHABILITATION PAPER

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/691

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NANDI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAD RAM टोकन नं. 3520 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 423, 25.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.डी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411064, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BABITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री JASSI RAM टोकन नं. - 3521 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BABITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री JASSI RAM टोकन नं. 3521 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2036 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BABITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...JASSI RAM दिनांक 06.07.2036 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BABITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JASSI RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 692

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BABITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JASSI RAM टोकन नं. 3521 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4802, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.वी.सी. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415519
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA पुत्र/पुत्री श्री .babu lal टोकन नं. - 3554 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA पुत्र/पुत्री श्री babu lal टोकन नं. 3554 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2037 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...babu lal दिनांक 06.07.2037 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री babu lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,
---	-------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 693

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री babu lal टोकन नं. 3554 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5039, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक. एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411662, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RUKSANA पुत्र/पुत्री श्री JAMEEL टोकन नं. - 3560 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RUKSANA पुत्र/पुत्री श्री JAMEEL टोकन नं. 3560 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2038 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RUKSANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAMEEL दिनांक 06.07.2038 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RUKSANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAMEEL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का दिवरण	Aadhar Card, PPP, Affidavit
---	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/694

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RUKSANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAMEEL टोकन नं. 3560 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5206, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा- इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय:- नगर नियम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BILKIS JAHAN पुत्र/पुत्री श्री Gulab Nabi टोकन नं. - 3589 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BILKIS JAHAN पुत्र/पुत्री श्री Gulab Nabi टोकन नं. 3589 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2039 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BILKIS JAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gulab Nabi दिनांक 06.07.2039 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BILKIS JAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gulab Nabi द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,RWA SLIP, SURVEY ID
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 695

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BILKIS JAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gulab Nabi टोकन नं. 3589 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5219, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एच.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411652, 2415549
Fax : 0129-2410485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJAY BABU पुत्र/पुत्री श्री Ram Parkash टोकन नं. - 3622 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJAY BABU पुत्र/पुत्री श्री Ram Parkash टोकन नं. 3622 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2040 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANJAY BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ram Parkash दिनांक 06.07.2040 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANJAY BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Parkash द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 696

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANJAY BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Parkash टोकन नं. 3622 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5638, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD AADIL पुत्र/पुत्री श्री **Mahmood Alam** टोकन नं. - 3642 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD AADIL पुत्र/पुत्री श्री Mahmood Alam टोकन नं. 3642 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2041 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHD AADIL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Mahmood Alam दिनांक 06.07.2041 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD AADIL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mahmood Alam द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,Pan Card,Driving Licence,Bank copy, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/697

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHD AADIL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mahmood Alam टोकन नं. 3642 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6014, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RADHIKA पुत्र/पुत्री श्री Vinod pandit टोकन नं. - 3655 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RADHIKA पुत्र/पुत्री श्री Vinod pandit टोकन नं. 3655 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2042 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RADHIKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Vinod pandit दिनांक 06.07.2042 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RADHIKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinod pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,PPP,
---	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/698

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RADHIKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinod pandit टोकन नं. 3655 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5489, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SNEHLATA MISHRA पुत्र/पुत्री श्री DAYA RAM MISHRA टोकन नं. - 3674 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SNEHLATA MISHRA पुत्र/पुत्री श्री DAYA RAM MISHRA टोकन नं. 3674 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2043 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SNEHLATA MISHRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DAYA RAM MISHRA दिनांक 06.07.2043 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SNEHLATA MISHRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DAYA RAM MISHRA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,Yashi copy
---	----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

प्लानकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 699

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SNEHLATA MISHRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DAYA RAM MISHRA टोकन नं. 3674 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करगणन अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Raj kumar पुत्र/पुत्री श्री Vinda prasad टोकन नं. - 3700 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Raj kumar पुत्र/पुत्री श्री Vinda prasad टोकन नं. 3700 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2044 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Raj kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Vinda prasad दिनांक 06.07.2044 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Raj kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinda prasad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, BIRTH
CERTIFICATE, CENSUS COPY

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/700

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Raj kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vinda prasad टोकन नं. 3700 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5436, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.गोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411964, 2415519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बंटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Rizwana VI पुत्र/पुत्री श्री **Mohammad Ikbal** टोकन नं. - 3735 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Rizwana VI पुत्र/पुत्री श्री Mohammad Ikbal टोकन नं. 3735 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2045 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Rizwana VI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohammad Ikbal दिनांक 06.07.2045 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Rizwana VI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad Ikbal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,Yashi copy, Bank copy, AFFIDVIT

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/701

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Rizwana VI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad Ikbal टोकन नं. 3735 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5971, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सिक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BHANAWATI पुत्र/पुत्री श्री BABU RAM टोकन नं. - 3762 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BHANAWATI पुत्र/पुत्री श्री BABU RAM टोकन नं. 3762 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BHANAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BABU RAM दिनांक 06.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BHANAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy, Affidavit, PHOTO
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/702

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BHANAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU RAM टोकन नं. 3762 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5212, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416486

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KHUSHBU KUMARI पुत्र/पुत्री श्री GAORISHANKAR SINGH टोकन नं. - 3777 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KHUSHBU KUMARI पुत्र/पुत्री श्री GAORISHANKAR SINGH टोकन नं. 3777 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KHUSHBU KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...GAORISHANKAR SINGH दिनांक 06.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KHUSHBU KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GAORISHANKAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 703

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KHUSHBU KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GAORISHANKAR SINGH टोकन नं. 3777 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5403, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जीक, एम.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा, इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Shanaz Bano पुत्र/पुत्री श्री MD Sikandar टोकन नं. - 3786 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Shanaz Bano पुत्र/पुत्री श्री MD Sikandar टोकन नं. 3786 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Shanaz Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MD Sikandar दिनांक 06.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Shanaz Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD Sikandar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, Yashi copy
---	--------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 704

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Shanaz Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD Sikandar टोकन नं. 3786 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4820, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Clara पुत्र/पुत्री श्री Augustus टोकन नं. - 3814 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Clara पुत्र/पुत्री श्री Augustus टोकन नं. 3814 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Clara पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Augustus दिनांक 06.07.2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Clara पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Augustus द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, BANK DETAIL, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/705

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Clara पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Augustus टोकन नं. 3814 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4779, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



MUNICIPAL CORPORATION
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411604, 2416549
Fax : 0129-2416405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sazid Saifi पुत्र/पुत्री श्री Nawab Khan टोकन नं. - 3838 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sazid Saifi पुत्र/पुत्री श्री Nawab Khan टोकन नं. 3838 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2026 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sazid Saifi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Nawab Khan दिनांक 06.07.2026 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sazid Saifi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nawab Khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy, Bank copy
---	------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/706

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sazid Saifi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nawab Khan टोकन नं. 3838 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5000, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 24116519
Fax. : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mira Devi पुत्र/पुत्री श्री Vijay pal Singh टोकन नं. - 3847 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mira Devi पुत्र/पुत्री श्री Vijay pal Singh टोकन नं. 3847 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2027 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mira Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Vijay pal Singh दिनांक 06.07.2027 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mira Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vijay pal Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,Pan Card,PVT. LTD. PAPER
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 707

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mira Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vijay pal Singh टोकन नं. 3847 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5339, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Triloki Devi पुत्र/पुत्री श्री .Ganesh rai टोकन नं. - 3859 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Triloki Devi पुत्र/पुत्री श्री Ganesh rai टोकन नं. 3859 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2028 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Triloki Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ganesh rai दिनांक 06.07.2028 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Triloki Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ganesh rai द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,BANK DETAIL
---	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 708

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Triloki Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ganesh rai टोकन नं. 3859 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5508, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411619, 2411654, 2411549
Fax: 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mahender kumar पुत्र/पुत्री श्री Durbal Ram टोकन नं. - 3882 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mahender kumar पुत्र/पुत्री श्री Durbal Ram टोकन नं. 3882 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2029 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mahender kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Durbal Ram दिनांक 06.07.2029 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mahender kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Durbal Ram द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,BANKCOPY
---	--------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/709

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mahender kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Durbal Ram टोकन नं. 3882 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5554, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Kamlesh Sharma पुत्र/पुत्री श्री Dindayal Sharma टोकन नं. - 3886 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Kamlesh Sharma पुत्र/पुत्री श्री Dindayal Sharma टोकन नं. 3886 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2030 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Kamlesh Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Dindayal Sharma दिनांक 06.07.2030 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Kamlesh Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dindayal Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,HOUSE PHOTO, census slip, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 710

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Kamlesh Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dindayal Sharma टोकन नं. 3886 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5440, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2418649, 2411864, 2418649
Fax : 0129-2418665

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mausmi Devi पुत्र/पुत्री श्री Deepak kumar टोकन नं. - 3897 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mausmi Devi पुत्र/पुत्री श्री Deepak kumar टोकन नं. 3897 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2031 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mausmi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Deepak kumar दिनांक 06.07.2031 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mausmi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Deepak kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,MEMBERSHIP SLIP, PMA Y
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 711

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mausmi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Deepak kumar टोकन नं. 3897 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4810/4682, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Anita पुत्र/पुत्री श्री Anil Kumar टोकन नं. - 3903 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Anita पुत्र/पुत्री श्री Anil Kumar टोकन नं. 3903 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Anita पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Anil Kumar दिनांक 06.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Anita पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anil Kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,Bank copy
---	---------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/712

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Anita पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anil Kumar टोकन नं. 3903 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5211, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax. : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Omprakash singh पुत्र/पुत्री श्री .Dev Singh टोकन नं. - 3923 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Omprakash singh पुत्र/पुत्री श्री Dev Singh टोकन नं. 3923 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Omprakash singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Dev Singh दिनांक 06.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Omprakash singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dev Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,GAS COPY
---	----------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 713

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Omprakash singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dev Singh टोकन नं. 3923 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5312, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



MUNICIPAL CORPORATION
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Lalit kumar Mandal पुत्र/पुत्री श्री .Jai chand mandal टोकन नं. - 3924 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Lalit kumar Mandal पुत्र/पुत्री श्री Jai chand mandal टोकन नं. 3924 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Lalit kumar Mandal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .Jai chand mandal दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Lalit kumar Mandal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jai chand mandal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Yashi copy, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : ननि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 714

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Lalit kumar Mandal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jai chand mandal टोकन नं. 3924 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4822, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411854, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Neetu Singh पुत्र/पुत्री श्री Chander Bhan टोकन नं. - 3934 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Neetu Singh पुत्र/पुत्री श्री Chander Bhan टोकन नं. 3934 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Neetu Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Chander Bhan दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Neetu Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chander Bhan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Driving Licence, Yashi copy, Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/715

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Neetu Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chander Bhan टोकन नं. 3934 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4827, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2412549
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Deepak पुत्र/पुत्री श्री .lal Singh टोकन नं. - 3937 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Deepak पुत्र/पुत्री श्री lal Singh टोकन नं. 3937 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Deepak पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...lal Singh दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Deepak पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री lal Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Driving Licence, Yashi copy, BIRTH, CERTIFICATE, Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/716

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Deepak पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री lal Singh टोकन नं. 3937 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4833, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



MUNICIPAL CORPORATION
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411644, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Surajbhan पुत्र/पुत्री श्री Lal Singh टोकन नं. - 3940 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Surajbhan पुत्र/पुत्री श्री Lal Singh टोकन नं. 3940 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Surajbhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Lal Singh दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Surajbhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Lal Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Yashi copy, BIRTH CERTIFICATE
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 717

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Surajbhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Lal Singh टोकन नं. 3940 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4834, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.नौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Amod Sharma पुत्र/पुत्री श्री Vishnu Sharma टोकन नं. - 3946 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Amod Sharma पुत्र/पुत्री श्री Vishnu Sharma टोकन नं. 3946 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Amod Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vishnu Sharma दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Amod Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vishnu Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/718

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Amod Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vishnu Sharma टोकन नं. 3946 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5569, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.पॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ramji पुत्र/पुत्री श्री Jiyalal टोकन नं. - 3957 द्वारा अपील के निर्णय बारे।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ramji पुत्र/पुत्री श्री Jiyalal टोकन नं. 3957 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया।

श्री Ramji पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jiyalal दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए।

अतः अपीलार्थी श्री Ramji पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jiyalal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/719

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Ramji पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jiyalal टोकन नं. 3957 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6052, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री saleha Naz पुत्र/पुत्री श्री **Mohd. Farid Khan** टोकन नं. - 3959 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री saleha Naz पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Farid Khan टोकन नं. 3959 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री saleha Naz पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohd. Farid Khan दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री saleha Naz पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Farid Khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 720

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री saleha Naz पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Farid Khan टोकन नं. 3959 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Fatima Iqbal पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Iqbal टोकन नं. - 3962 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Fatima Iqbal पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Iqbal टोकन नं. 3962 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Fatima Iqbal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohd. Iqbal दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Fatima Iqbal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Iqbal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 721

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Fatima Iqbal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Iqbal टोकन नं. 3962 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5967, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.पी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mohd. Tasleem Ahmad पुत्र/पुत्री श्री mohd. Shamim टोकन नं. - 3963 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mohd. Tasleem Ahmad पुत्र/पुत्री श्री mohd. Shamim टोकन नं. 3963 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mohd. Tasleem Ahmad पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...mohd. Shamim दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mohd. Tasleem Ahmad पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री mohd. Shamim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 722

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mohd. Tasleem Ahmad पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री mohd. Shamim टोकन नं. 3963 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5958, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Saziya iqbal पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Iqbal टोकन नं. - 4011 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Saziya iqbal पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Iqbal टोकन नं. 4011 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Saziya iqbal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Iqbal दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Saziya iqbal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Iqbal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/723

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Saziya iqbal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Iqbal टोकन नं. 4011 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5963, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चोक, एन.आई.सी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Nutan dung DUNG पुत्र/पुत्री श्री karam Dayal topno टोकन नं. - 4013 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Nutan dung DUNG पुत्र/पुत्री श्री karam Dayal topno टोकन नं. 4013 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Nutan dung DUNG पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री karam Dayal topno दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Nutan dung DUNG पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री karam Dayal topno द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 724

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Nutan dung DUNG पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री karam Dayal topno टोकन नं. 4013 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5257, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

4
क्षेत्रीय एवं करगान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.वॉ.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411849, 2411064, 2418649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री UMA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARESH KUMAR टोकन नं. - 4076 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री UMA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARESH KUMAR टोकन नं. 4076 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री UMA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...NARESH KUMAR दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री UMA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Bank copy, RWA SLIP
---	---------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/725

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री UMA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH KUMAR टोकन नं. 4076 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4744, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.नौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411651, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM PADARATH SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Sita ram sharma टोकन नं. - 4096 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM PADARATH SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Sita ram sharma टोकन नं. 4096 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री RAM PADARATH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sita ram sharma दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM PADARATH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sita ram sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy
---	-----------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/726

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM PADARATH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sita ram sharma टोकन नं. 4096 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5070, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचना प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411684, 2415849
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JAY PRAKASH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री .Anodi singh टोकन नं. - 4097 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JAY PRAKASH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Anodi singh टोकन नं. 4097 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JAY PRAKASH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Anodi singh दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JAY PRAKASH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anodi singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/727

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JAY PRAKASH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anodi singh टोकन नं. 4097 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5051, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHANDRASHEKHAR KUMAR TANTI पुत्र/पुत्री श्री Basuki tanti टोकन नं. - 4110 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHANDRASHEKHAR KUMAR TANTI पुत्र/पुत्री श्री Basuki tanti टोकन नं. 4110 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री CHANDRASHEKHAR KUMAR TANTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Basuki tanti दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHANDRASHEKHAR KUMAR TANTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Basuki tanti द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy
---	------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 728

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री CHANDRASHEKHAR KUMAR TANTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Basuki tanti टोकन नं. 4110 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5633, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJAY KUMAR पुत्र/पुत्री श्री **Raju singh** टोकन नं. - 4117 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJAY KUMAR पुत्र/पुत्री श्री **Raju singh** टोकन नं. 4117 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANJAY KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...**Raju singh** दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वाच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANJAY KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Raju singh** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Driving Licence, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 729

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANJAY KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Raju singh** टोकन नं. 4117 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4877/1479(JCT), 01.05.2023, 485, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Vinod kumar पुत्र/पुत्री श्री Prakash sharma टोकन नं. - 4199 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Vinod kumar पुत्र/पुत्री श्री Prakash sharma टोकन नं. 4199 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Vinod kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Prakash sharma दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Vinod kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prakash sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Pan Card, Driving Licence,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/730

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Vinod kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prakash sharma टोकन नं. 4199 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6020, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Reshma Praveen पुत्र/पुत्री श्री **Mohammed Ahmad** टोकन नं. - 4259 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Reshma Praveen पुत्र/पुत्री श्री Mohammed Ahmad टोकन नं. 4259 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Reshma Praveen पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohammed Ahmad दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Reshma Praveen पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammed Ahmad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,REHABILITATION FORM
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/731

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Reshma Praveen पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammed Ahmad टोकन नं. 4259 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5684, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Jubair Ahmad पुत्र/पुत्री श्री **Tasleem Ahmed** टोकन नं. - 4261 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Jubair Ahmad पुत्र/पुत्री श्री Tasleem Ahmed टोकन नं. 4261 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Jubair Ahmad पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Tasleem Ahmed दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Jubair Ahmad पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Tasleem Ahmed द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,REHABILITATION FORM

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 732

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Jubair Ahmad पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Tasleem Ahmed टोकन नं. 4261 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5686, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116549
Fax : 0129-2416486

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Jayant Chaudhary पुत्र/पुत्री श्री Bhagwat Choudary टोकन नं. - 4264 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Jayant Chaudhary पुत्र/पुत्री श्री Bhagwat Choudary टोकन नं. 4264 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Jayant Chaudhary पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwat Choudary दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Jayant Chaudhary पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwat Choudary द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 733

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Jayant Chaudhary पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwat Choudary टोकन नं. 4264 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6062, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sudama Thakur पुत्र/पुत्री श्री **Late Moti Thakur** टोकन नं. - 4296 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sudama Thakur पुत्र/पुत्री श्री Late Moti Thakur टोकन नं. 4296 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sudama Thakur पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Late Moti Thakur दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sudama Thakur पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late Moti Thakur द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/734

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sudama Thakur पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late Moti Thakur टोकन नं. 4296 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5382, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.जे.रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411864, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAJHAN KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Multan Ahmad टोकन नं. - 4318 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAJHAN KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Multan Ahmad टोकन नं. 4318 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAJHAN KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Multan Ahmad दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAJHAN KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Multan Ahmad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,
---	-------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 735

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAJHAN KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Multan Ahmad टोकन नं. 4318 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5965, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करीबान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax: 0129-2416488

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री EJAJ AHMED पुत्र/पुत्री श्री ISTAQ AHMED टोकन नं. - 689 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री EJAJ AHMED पुत्र/पुत्री श्री ISTAQ AHMED टोकन नं. 689 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री EJAJ AHMED पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ISTAQ AHMED दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री EJAJ AHMED पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ISTAQ AHMED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, Pan Card, Driving Licence, census slip, Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/388

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री EJAJ AHMED पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ISTAQ AHMED टोकन नं. 689 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5192, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.नोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411854, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NEELAM पुत्र/पुत्री श्री UPENDRA टोकन नं. - 794 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NEELAM पुत्र/पुत्री श्री UPENDRA टोकन नं. 794 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NEELAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...UPENDRA दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NEELAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UPENDRA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 389

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NEELAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UPENDRA टोकन नं. 794 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5738, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रदद आवेदन के विरुद्ध श्री meena kumari पुत्र/पुत्री श्री nathu ram टोकन नं. - 797 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री meena kumari पुत्र/पुत्री श्री nathu ram टोकन नं. 797 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री meena kumari पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...nathu ram दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री meena kumari पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री nathu ram द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 390

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री meena kumari पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री nathu ram टोकन नं. 797 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5280, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NARAYAN DAS पुत्र/पुत्री श्री .SHER SINGH टोकन नं. - 806 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NARAYAN DAS पुत्र/पुत्री श्री SHER SINGH टोकन नं. 806 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NARAYAN DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SHER SINGH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NARAYAN DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHER SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,Bank copy, Yashi copy, covid-19 vaccination
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 391

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NARAYAN DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHER SINGH टोकन नं. 806 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5169, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री श्री AMAR SINGH टोकन नं. - 810 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री श्री AMAR SINGH टोकन नं. 810 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...AMAR SINGH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Ayshman card, Yashi copy, Affidavit
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 392

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR SINGH टोकन नं. 810 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5210, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NASEEMA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री ANUL ANSARI टोकन नं. - 815 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NASEEMA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री ANUL ANSARI टोकन नं. 815 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NASEEMA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANUL ANSARI दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NASEEMA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANUL ANSARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 393

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NASEEMA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANUL ANSARI टोकन नं. 815 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5857, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ARIF ALI पुत्र/पुत्री श्री SHAUKAT ALI टोकन नं. - 818 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ARIF ALI पुत्र/पुत्री श्री SHAUKAT ALI टोकन नं. 818 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ARIF ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAUKAT ALI दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ARIF ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAUKAT ALI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 394

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ARIF ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAUKAT ALI टोकन नं. 818 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5687, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.मोंक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax: 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUNNI DEVI पुत्र/पुत्री श्री DINESH CHAND टोकन नं. - 838 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUNNI DEVI पुत्र/पुत्री श्री DINESH CHAND टोकन नं. 838 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MUNNI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DINESH CHAND दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MUNNI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DINESH CHAND द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 395

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MUNNI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DINESH CHAND टोकन नं. 838 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4707, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411694, 2416519
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री श्री BATESHWAR टोकन नं.- 839 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री श्री BATESHWAR टोकन नं. 839 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BATESHWAR दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BATESHWAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 396

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANOJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BATESHWAR टोकन नं. 839 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4540, 26.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करारधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री OMesh SINGH पुत्र/पुत्री श्री JAGDISH SINGH टोकन नं. - 864 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री OMesh SINGH पुत्र/पुत्री श्री JAGDISH SINGH टोकन नं. 864 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री OMesh SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH SINGH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री OMesh SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 397

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री OMesh SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH SINGH टोकन नं. 864 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6402, 17.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SURESH SHAH पुत्र/पुत्री श्री JAMADAR SHAH टोकन नं. - 872 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SURESH SHAH पुत्र/पुत्री श्री JAMADAR SHAH टोकन नं. 872 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SURESH SHAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAMADAR SHAH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SURESH SHAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAMADAR SHAH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy
---	------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 398

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SURESH SHAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAMADAR SHAH टोकन नं. 872 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5810, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BHAGWAN DAS पुत्र/पुत्री श्री .SHER SINGH टोकन नं. - 876 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BHAGWAN DAS पुत्र/पुत्री श्री SHER SINGH टोकन नं. 876 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BHAGWAN DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SHER SINGH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BHAGWAN DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHER SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, GAS COPY, Bank copy,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 399

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BHAGWAN DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHER SINGH टोकन नं. 876 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5184, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAMAN KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री श्री UPDENDER SINGH टोकन नं. - 879 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAMAN KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री श्री UPDENDER SINGH टोकन नं. 879 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAMAN KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...UPDENDER SINGH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAMAN KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UPDENDER SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Driving Licence, Bank copy, Vehicle insurance, SCHOOL ID, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 400

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAMAN KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UPDENDER SINGH टोकन नं. 879 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5234, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411848, 2411864, 2415549
Fax : 0129 2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AJEET PAL पुत्र/पुत्री श्री GORAKH PAL टोकन नं. - 884 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AJEET PAL पुत्र/पुत्री श्री GORAKH PAL टोकन नं. 884 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AJEET PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GORAKH PAL दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AJEET PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GORAKH PAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,Pan Card,Yashi copy
---	-------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/401

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AJEET PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GORAKH PAL टोकन नं. 884 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6015, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NOOR JAHAN पुत्र/पुत्री श्री NAWAB KHAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NOOR JAHAN पुत्र/पुत्री श्री NAWAB KHAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NOOR JAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAWAB KHAN दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NOOR JAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAWAB KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/402

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NOOR JAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAWAB KHAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4386, 24.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BABLI पुत्र/पुत्री श्री RAKESH KUMAR टोकन नं. - 892 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BABLI पुत्र/पुत्री श्री RAKESH KUMAR टोकन नं. 892 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BABLI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAKESH KUMAR दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BABLI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAKESH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/403

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BABLI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAKESH KUMAR टोकन नं. 892 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4269, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NEELAM पुत्र/पुत्री श्री SUNIL टोकन नं. - 905 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NEELAM पुत्र/पुत्री श्री SUNIL टोकन नं. 905 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री NEELAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SUNIL दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NEELAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNIL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, Yashi copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0न0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 404

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NEELAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNIL टोकन नं. 905 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5019, 413 02.05.2023, 24.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री SURAJ PAL टोकन नं. - 911 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री SURAJ PAL टोकन नं. 911 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ PAL दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ PAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 405

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ PAL टोकन नं. 911 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5614, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411694, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MADINA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD. ANSAR ALI टोकन नं. - 932 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MADINA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD. ANSAR ALI टोकन नं. 932 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MADINA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. ANSAR ALI दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MADINA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. ANSAR ALI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 406

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MADINA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. ANSAR ALI टोकन नं. 932 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6726, 25.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.डी.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NIRANJAN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री .ASHISH KUAMR टोकन नं. - 967 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NIRANJAN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री ASHISH KUAMR टोकन नं. 967 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NIRANJAN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .ASHISH KUAMR दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NIRANJAN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHISH KUAMR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 407

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NIRANJAN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHISH KUAMR टोकन नं. 967 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 347, 13.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.पी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416463

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM SANESH पुत्र/पुत्री श्री RAM KISHUN टोकन नं. - 973 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM SANESH पुत्र/पुत्री श्री RAM KISHUN टोकन नं. 973 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM SANESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM KISHUN दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM SANESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KISHUN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card
---	-------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/408

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM SANESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KISHUN टोकन नं. 973 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5911, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD SHAHJAD KHAN पुत्र/पुत्री श्री BARKAT टोकन नं. - 976 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD SHAHJAD KHAN पुत्र/पुत्री श्री BARKAT टोकन नं. 976 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHD SHAHJAD KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BARKAT दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD SHAHJAD KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BARKAT द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, PHYSICAL HANDICAPPED CERTIFICATE
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 409

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHD SHAHJAD KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BARKAT टोकन नं. 976 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6498, 19.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुनर्वास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फलैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAVINDRA PRATAP YADAV पुत्र/पुत्री श्री RAM SEWAK YADAV टोकन नं. - 987 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फलैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAVINDRA PRATAP YADAV पुत्र/पुत्री श्री RAM SEWAK YADAV टोकन नं. 987 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAVINDRA PRATAP YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SEWAK YADAV दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAVINDRA PRATAP YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SEWAK YADAV द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, BANK DETAIL, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 410

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAVINDRA PRATAP YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM SEWAK YADAV टोकन नं. 987 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5502, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411694, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लककड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PINKI DEVI पुत्र/पुत्री श्री .PUTUS SAW टोकन नं. - 989 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लककड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PINKI DEVI पुत्र/पुत्री श्री PUTUS SAW टोकन नं. 989 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PINKI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .PUTUS SAW दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PINKI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PUTUS SAW द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/411

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PINKI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PUTUS SAW टोकन नं. 989 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4267, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JAYRANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री .DIPU VERMA टोकन नं. - 990 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JAYRANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री DIPU VERMA टोकन नं. 990 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JAYRANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DIPU VERMA दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JAYRANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DIPU VERMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,Bank copy
---	---------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 412

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JAYRANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DIPU VERMA टोकन नं. 990 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4268, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2416649, 2411864, 2416549
Fax : 0129-2416486

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री SATYENDAR SHARMA टोकन नं. - 995 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री SATYENDAR SHARMA टोकन नं. 995 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNITA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SATYENDAR SHARMA दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SATYENDAR SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/413

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SATYENDAR SHARMA टोकन नं. 995 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5527, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NAZMA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री KALAM SAI टोकन नं. - 998 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NAZMA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री KALAM SAI टोकन नं. 998 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NAZMA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KALAM SAI दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NAZMA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KALAM SAI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP,
---	-------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/414

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NAZMA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KALAM SAI टोकन नं. 998 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5528, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृत: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री ASHOK KUMAR टोकन नं. - 1003 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री ASHOK KUMAR टोकन नं. 1003 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ASHOK KUMAR दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHOK KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 415

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHOK KUMAR टोकन नं. 1003 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5616, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री REENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MUKESH VERMA टोकन नं. - 1014 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री REENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MUKESH VERMA टोकन नं. 1014 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री REENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKESH VERMA दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री REENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKESH VERMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy
---	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/416

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री REENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKESH VERMA टोकन नं. 1014 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4266, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी जुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GOPAL RAM पुत्र/पुत्री श्री NARAYAN SINGH टोकन नं. - 1046 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GOPAL RAM पुत्र/पुत्री श्री NARAYAN SINGH टोकन नं. 1046 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GOPAL RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN SINGH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GOPAL RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, RWA SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 417

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GOPAL RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN SINGH टोकन नं. 1046 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4775, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2413549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJAY पुत्र/पुत्री श्री MAKAY टोकन नं. - 1055 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJAY पुत्र/पुत्री श्री MAKAY टोकन नं. 1055 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANJAY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MAKAY दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गडिड कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANJAY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAKAY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 418

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANJAY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAKAY टोकन नं. 1055 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4842, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SHIV SHANKAR SINGH टोकन नं. - 1065 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SHIV SHANKAR SINGH टोकन नं. 1065 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV SHANKAR SINGH दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV SHANKAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,SURVEY ID
---	---------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ00/ए0ई0ओ0/2024/419

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV SHANKAR SINGH टोकन नं. 1065 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5153, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SEEMA पुत्र/पुत्री श्री UMESH KUMAR SHUKLA टोकन नं. - 1086 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SEEMA पुत्र/पुत्री श्री UMESH KUMAR SHUKLA टोकन नं. 1086 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SEEMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...UMESH KUMAR SHUKLA दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SEEMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH KUMAR SHUKLA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy
---	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/420

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SEEMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH KUMAR SHUKLA टोकन नं. 1086 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4388, 24.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411619, 2411654, 2416549
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RIZWANA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री NASIR HUSSAIN टोकन नं. - 1090 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RIZWANA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री NASIR HUSSAIN टोकन नं. 1090 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RIZWANA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NASIR HUSSAIN दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RIZWANA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NASIR HUSSAIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/421

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RIZWANA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NASIR HUSSAIN टोकन नं. 1090 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4700, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 24115549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BABITA KUSHWAHA पुत्र/पुत्री श्री RAMESH KUMAR KUSHWAHA टोकन नं. - 1141 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BABITA KUSHWAHA पुत्र/पुत्री श्री RAMESH KUMAR KUSHWAHA टोकन नं. 1141 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BABITA KUSHWAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAMESH KUMAR KUSHWAHA दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BABITA KUSHWAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH KUMAR KUSHWAHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 422

दिनांक:- 09.05.2024

- 1- श्री BABITA KUSHWAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH KUMAR
- 2- KUSHWAHA टोकन नं. 1141 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5183, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUMANTRI पुत्र/पुत्री श्री CHHIDDA टोकन नं. - 1155 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUMANTRI पुत्र/पुत्री श्री CHHIDDA टोकन नं. 1155 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUMANTRI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...CHHIDDA दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUMANTRI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHHIDDA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card
---	-------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 423

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUMANTRI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHHIDDA टोकन नं. 1155 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5067, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411634, 2415549
Fax : 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NETAR PAL पुत्र/पुत्री श्री HARI RAM टोकन नं. - 1159 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NETAR PAL पुत्र/पुत्री श्री HARI RAM टोकन नं. 1159 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NETAR PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI RAM दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NETAR PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,Pan Card,Driving Licence,MEMBERSHIP CARD
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/424

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NETAR PAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI RAM टोकन नं. 1159 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5122, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एम.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416469

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KISHAN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री SHIV CHARAN टोकन नं. - 1162 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KISHAN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री SHIV CHARAN टोकन नं. 1162 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KISHAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV CHARAN दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KISHAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV CHARAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy
---	------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/425

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KISHAN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIV CHARAN टोकन नं. 1162 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5382, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.वोक, ए-1,ओई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411652, 2415819
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रदद आवेदन के विरुद्ध श्री VEVI DEVI पुत्र/पुत्री श्री DHARMENDRA RAM टोकन नं. - 1172 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VEVI DEVI पुत्र/पुत्री श्री DHARMENDRA RAM टोकन नं. 1172 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VEVI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DHARMENDRA RAM दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VEVI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DHARMENDRA RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/426

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VEVI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DHARMENDRA RAM टोकन नं. 1172 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5575, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री YASMEEN पुत्र/पुत्री श्री MOHD. ARSAF टोकन नं. - 1182 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री YASMEEN पुत्र/पुत्री श्री MOHD. ARSAF टोकन नं. 1182 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री YASMEEN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. ARSAF दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री YASMEEN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. ARSAF द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 427

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री YASMEEN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. ARSAF टोकन नं. 1182 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5226, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2418549
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NARENDER SINGH पुत्र/पुत्री श्री SHARWAN SINGH टोकन नं. - 1211 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NARENDER SINGH पुत्र/पुत्री श्री SHARWAN SINGH टोकन नं. 1211 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NARENDER SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHARWAN SINGH दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NARENDER SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHARWAN SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, MEMBERSHIP CARD
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/428

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NARENDER SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHARWAN SINGH टोकन नं. 1211 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5822, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.टोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411604, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NAVEEN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री KRISHAN MISTRI टोकन नं. - 1217 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NAVEEN SHARMA पुत्र/पुत्री श्री KRISHAN MISTRI टोकन नं. 1217 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NAVEEN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KRISHAN MISTRI दिनांक 26.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NAVEEN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KRISHAN MISTRI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Yashi copy, PM-UDAY

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/429

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NAVEEN SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KRISHAN MISTRI टोकन नं. 1217 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5300, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.सी. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411849, 2411864, 2415649
Fax: 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJ KUMAR MANDAL पुत्र/पुत्री श्री BHOLA MANDAL टोकन नं. - 1219 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJ KUMAR MANDAL पुत्र/पुत्री श्री BHOLA MANDAL टोकन नं. 1219 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJ KUMAR MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHOLA MANDAL दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJ KUMAR MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHOLA MANDAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, RWA SLIP
---	--------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 430

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJ KUMAR MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHOLA MANDAL टोकन नं. 1219 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5718, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचना प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.कोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116619
Fax : 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHARVILA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री KRISHNANAND SHARMA टोकन नं. - 1220 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHARVILA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री KRISHNANAND SHARMA टोकन नं. 1220 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHARVILA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KRISHNANAND SHARMA दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHARVILA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KRISHNANAND SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, GAS COPY, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठंकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/431

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHARVILA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KRISHNANAND SHARMA टोकन नं. 1220 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5297, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2415649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MEENA पुत्र/पुत्री श्री LAXMAN CHAUDHARY टोकन नं. - 1240 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आपुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MEENA पुत्र/पुत्री श्री LAXMAN CHAUDHARY टोकन नं. 1240 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMAN CHAUDHARY दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMAN CHAUDHARY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Bank copy
---	-----------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 432

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMAN CHAUDHARY टोकन नं. 1240 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5235, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHADRABLI RAJBHAR पुत्र/पुत्री श्री BAHADUR RAJBHAR टोकन नं. - 1251 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHADRABLI RAJBHAR पुत्र/पुत्री श्री BAHADUR RAJBHAR टोकन नं. 1251 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री CHADRABLI RAJBHAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BAHADUR RAJBHAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHADRABLI RAJBHAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BAHADUR RAJBHAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy
---	------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 433

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री CHADRABLI RAJBHAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BAHADUR RAJBHAR टोकन नं. 1251 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4366/5189, 24.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

री.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ARCHANA DEVI पुत्र/पुत्री श्री .SANJAY CHATURVEDI टोकन नं. - 1294 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ARCHANA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SANJAY CHATURVEDI टोकन नं. 1294 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ARCHANA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SANJAY CHATURVEDI दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ARCHANA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANJAY CHATURVEDI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 434

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ARCHANA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANJAY CHATURVEDI टोकन नं. 1294 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5346, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृत: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सीक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411654, 2411648
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SONAM DEVI पुत्र/पुत्री श्री DEEPAK KUMAR टोकन नं. - 1298 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SONAM DEVI पुत्र/पुत्री श्री DEEPAK KUMAR टोकन नं. 1298 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SONAM DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DEEPAK KUMAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SONAM DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEEPAK KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, Bank copy, FAMILY PHOTO
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 435

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SONAM DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEEPAK KUMAR टोकन नं. 1298 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5723, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SULEKHA पुत्र/पुत्री श्री AJAY RAM टोकन नं. - 1312 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SULEKHA पुत्र/पुत्री श्री AJAY RAM टोकन नं. 1312 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SULEKHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...AJAY RAM दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SULEKHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 436

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SULEKHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY RAM टोकन नं. 1312 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5548, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SADMA BEGAM पुत्र/पुत्री श्री RUSTAM ALI टोकन नं. - 1336 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0-डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SADMA BEGAM पुत्र/पुत्री श्री RUSTAM ALI टोकन नं. 1336 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SADMA BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RUSTAM ALI दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SADMA BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RUSTAM ALI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, Pan Card, Yashi record, rejection letter
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/437

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SADMA BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RUSTAM ALI टोकन नं. 1336 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6034, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री GANESH GUPTA टोकन नं. - 1341 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री GANESH GUPTA टोकन नं. 1341 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...GANESH GUPTA दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANESH GUPTA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy, Yashi copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0न0फ0/ए0ई0ओ0/2024/438

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANESH GUPTA टोकन नं. 1341 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5920, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जोड़क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री श्री PRADEEP SHARMA टोकन नं. - 1347 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री श्री PRADEEP SHARMA टोकन नं. 1347 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRADEEP SHARMA दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRADEEP SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, Pan Card, GIFT DEED

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठंकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/439

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RINKU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRADEEP SHARMA टोकन नं. 1347 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4809, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416463

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AFSANA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री TAJ MOHMAD टोकन नं. - 1355 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AFSANA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री TAJ MOHMAD टोकन नं. 1355 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AFSANA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TAJ MOHMAD दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AFSANA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TAJ MOHMAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Bank copy, COVID-19 CERTIFICATE, RWA SLIP, GAS COPY
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 440

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AFSANA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TAJ MOHMAD टोकन नं. 1355 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4829, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क, एन.आई.सी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116649
Fax : 0129-2416486

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KRISHAN KUMAR JHA पुत्र/पुत्री श्री RAM BALAK JHA टोकन नं. - 1358 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KRISHAN KUMAR JHA पुत्र/पुत्री श्री RAM BALAK JHA टोकन नं. 1358 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KRISHAN KUMAR JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM BALAK JHA दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KRISHAN KUMAR JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BALAK JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, BANK DETAIL, GAS COPY, ADHAR CARD SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/441

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KRISHAN KUMAR JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BALAK JHA टोकन नं. 1358 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5815, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री श्री CHOTTE LAL टोकन नं. - 1365 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री श्री CHOTTE LAL टोकन नं. 1365 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHOTTE LAL दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHOTTE LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 442

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHOTTE LAL टोकन नं. 1365 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4774, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JIYAUL पुत्र/पुत्री श्री MAZEED ANSAARI टोकन नं. - 1382 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JIYAUL पुत्र/पुत्री श्री MAZEED ANSAARI टोकन नं. 1382 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JIYAUL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MAZEED ANSAARI दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JIYAUL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAZEED ANSAARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 443

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JIYAUL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAZEED ANSAARI टोकन नं. 1382 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4857, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.जे.ब्लॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DILKESHWAR PANDIT पुत्र/पुत्री श्री LALA PANDIT टोकन नं. - 1409 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DILKESHWAR PANDIT पुत्र/पुत्री श्री LALA PANDIT टोकन नं. 1409 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DILKESHWAR PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LALA PANDIT दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DILKESHWAR PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LALA PANDIT द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, RWA SLIP 33

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फर0/ए0ई0ओ0/2024/444

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DILKESHWAR PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LALA PANDIT टोकन नं. 1409 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी बुगगी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RUBI TEWARI पुत्र/पुत्री श्री RAM KISHAN TEWARI टोकन नं. - 1444 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RUBI TEWARI पुत्र/पुत्री श्री RAM KISHAN TEWARI टोकन नं. 1444 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RUBI TEWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KISHAN TEWARI दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RUBI TEWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KISHAN TEWARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/445

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RUBI TEWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM KISHAN TEWARI टोकन नं. 1444 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4901, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2416548
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री श्री BINDESHWAR SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0-डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री श्री BINDESHWAR SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BINDESHWAR SINGH दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BINDESHWAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 446

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM KUMAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BINDESHWAR SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4789, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 24115519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KANTEE BAI पुत्र/पुत्री श्री CHANDER SHAKER टोकन नं. - 1447 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KANTEE BAI पुत्र/पुत्री श्री CHANDER SHAKER टोकन नं. 1447 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KANTEE BAI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDER SHAKER दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KANTEE BAI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDER SHAKER द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/447

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KANTEE BAI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDER SHAKER टोकन नं. 1447 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5613, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाथ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAHENDRA पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. - 1449 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAHENDRA पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. 1449 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री MAHENDRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BABU LAL दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAHENDRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 448

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAHENDRA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL टोकन नं. 1449 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5824, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411684, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री YASHODA पुत्र/पुत्री श्री **BABLU SAINI** टोकन नं. - 1454 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री YASHODA पुत्र/पुत्री श्री **BABLU SAINI** टोकन नं. 1454 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री YASHODA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **BABLU SAINI** दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री YASHODA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **BABLU SAINI** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, Yashi copy, MEMBERSHIP CARD
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 449

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री YASHODA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **BABLU SAINI** टोकन नं. 1454 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5035, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करोधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा, इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AMIR KALA पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR टोकन नं. - 1458 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AMIR KALA पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR टोकन नं. 1458 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AMIR KALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AMIR KALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 450

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AMIR KALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR टोकन नं. 1458 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4786, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.कॉ. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415518
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री UMESH टोकन नं. - 1460 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री UMESH टोकन नं. 1460 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/451

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH टोकन नं. 1460 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4900, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.ओ.ई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415349
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री ANIL PANDIT टोकन नं. - 1463 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री ANIL PANDIT टोकन नं. 1463 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANIL PANDIT दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANIL PANDIT द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, Affidavit

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/452

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANIL PANDIT टोकन नं. 1463 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5201, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2416469

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री .YAM KUMAR टोकन नं. - 1466 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री YAM KUMAR टोकन नं. 1466 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .YAM KUMAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री YAM KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card,Aadhar Card,PPP,HOUSE PHOTO


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/453

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री YAM KUMAR टोकन नं. 1466 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4794, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PREM CHAND पुत्र/पुत्री श्री BRIJ LAL टोकन नं. - 1475 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PREM CHAND पुत्र/पुत्री श्री BRIJ LAL टोकन नं. 1475 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री PREM CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BRIJ LAL दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PREM CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BRIJ LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, GAS COPY, Bank copy, YAHSI COPY, MEMBERSHIP SLIP
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 454

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PREM CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BRIJ LAL टोकन नं. 1475 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5188, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री MANOJ SINGH टोकन नं. - 1490 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री MANOJ SINGH टोकन नं. 1490 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOJ SINGH दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वाच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOJ SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,SURVEY ID, Bank copy
---	--



आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

दिनांक: 09.05.2024

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 455

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOJ SINGH टोकन नं. 1490 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5536, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क., एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411654, 2411649
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAN LAL पुत्र/पुत्री श्री BALI RAM टोकन नं. - 1491 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAN LAL पुत्र/पुत्री श्री BALI RAM टोकन नं. 1491 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHAN LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BALI RAM दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAN LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BALI RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, MEMBERSHIP CARD, GAS COPY, Bank copy, REHABILITATION FORM
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 456

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHAN LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BALI RAM टोकन नं. 1491 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4732, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ASHA SORANGI MAGAR पुत्र/पुत्री श्री SURYA SORANGI MAGAR टोकन नं. - 1494 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ASHA SORANGI MAGAR पुत्र/पुत्री श्री SURYA SORANGI MAGAR टोकन नं. 1494 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ASHA SORANGI MAGAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SURYA SORANGI MAGAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ASHA SORANGI MAGAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURYA SORANGI MAGAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP,
---	-------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/457

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ASHA SORANGI MAGAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURYA SORANGI MAGAR टोकन नं. 1494 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4793, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2416406

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHALINE पुत्र/पुत्री श्री HARISH CHANDRA टोकन नं. - 1495 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHALINE पुत्र/पुत्री श्री HARISH CHANDRA टोकन नं. 1495 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHALINE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARISH CHANDRA दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHALINE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARISH CHANDRA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/458

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHALINE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARISH CHANDRA टोकन नं. 1495 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5238, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJESH पुत्र/पुत्री श्री BABU RAM टोकन नं. - 1501 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJESH पुत्र/पुत्री श्री BABU RAM टोकन नं. 1501 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BABU RAM दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 459

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU RAM टोकन नं. 1501 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5927, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD. JANHAGIR पुत्र/पुत्री श्री HANIF टोकन नं. - 1504 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD. JANHAGIR पुत्र/पुत्री श्री HANIF टोकन नं. 1504 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHD. JANHAGIR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...HANIF दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD. JANHAGIR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HANIF द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, ID CARD
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/460

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHD. JANHAGIR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HANIF टोकन नं. 1504 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5509, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NANDA BIST पुत्र/पुत्री श्री BHUPENDRA टोकन नं. - 1506 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NANDA BIST पुत्र/पुत्री श्री BHUPENDRA टोकन नं. 1506 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NANDA BIST पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BHUPENDRA दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NANDA BIST पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHUPENDRA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 461

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NANDA BIST पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHUPENDRA टोकन नं. 1506 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5717, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BETULLA KHAN पुत्र/पुत्री श्री .HABIBULLA KHAN टोकन नं. - 1514 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BETULLA KHAN पुत्र/पुत्री श्री HABIBULLA KHAN टोकन नं. 1514 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BETULLA KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...HABIBULLA KHAN दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BETULLA KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HABIBULLA KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, ELEC. BILL

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 462

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BETULLA KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HABIBULLA KHAN टोकन नं. 1514 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4967, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411864, 2418549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PAPPU CHAUDHARY पुत्र/पुत्री श्री RAMROOP CHAUDHARY टोकन नं. - 1516 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PAPPU CHAUDHARY पुत्र/पुत्री श्री RAMROOP CHAUDHARY टोकन नं. 1516 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री PAPPU CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAMROOP CHAUDHARY दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PAPPU CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMROOP CHAUDHARY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Bank copy
---	----------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/463

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PAPPU CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMROOP CHAUDHARY टोकन नं. 1516 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5968, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.पी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121004, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2411549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AMIT YADAV पुत्र/पुत्री श्री .RAM JI YADAV टोकन नं. - 1520 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AMIT YADAV पुत्र/पुत्री श्री RAM JI YADAV टोकन नं. 1520 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री AMIT YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM JI YADAV दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AMIT YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM JI YADAV द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, GAS BILL, LABOUR CARD, Yashi copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/464

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AMIT YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM JI YADAV टोकन नं. 1520 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5913, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.ओ.ब्लॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411654
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SRAVAN KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SRAVAN KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री VEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SRAVAN KUMAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SRAVAN KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,GAS COPY, Affidavit, Bank copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/465

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SRAVAN KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5009, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415649
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD. JABBAR पुत्र/पुत्री श्री MOHD. SATTAR टोकन नं. - 1577 द्वारा अपील के निषर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD. JABBAR पुत्र/पुत्री श्री MOHD. SATTAR टोकन नं. 1577 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHD. JABBAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. SATTAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD. JABBAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. SATTAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Yashi copy, LABOUR CARD
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 466

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHD. JABBAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. SATTAR टोकन नं. 1577 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5408, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AAISHA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री WAJID ALI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AAISHA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री WAJID ALI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AAISHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...WAJID ALI दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AAISHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री WAJID ALI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy, SURVEY ID,
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 467

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AAISHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री WAJID ALI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5335, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 24115549
Fax : 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री FAREEDA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री MOHD. KALAMUDDIN टोकन नं. - 1582 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री FAREEDA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री MOHD. KALAMUDDIN टोकन नं. 1582 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री FAREEDA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MOHD. KALAMUDDIN दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री FAREEDA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. KALAMUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, PAN, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 468

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री FAREEDA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. KALAMUDDIN टोकन नं. 1582 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4795, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाएं प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.पार्क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2418549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री TARANUM BEGUM पुत्र/पुत्री श्री SAHBAN ANSARI टोकन नं. - 1587 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री TARANUM BEGUM पुत्र/पुत्री श्री SAHBAN ANSARI टोकन नं. 1587 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री TARANUM BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SAHBAN ANSARI दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री TARANUM BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SAHBAN ANSARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 469

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री TARANUM BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SAHBAN ANSARI टोकन नं. 1587 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.मोंक, एन.आई.टी. फरीदाबाद -121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2418485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KUSUM पुत्र/पुत्री श्री MOHAN SINGH NEGI टोकन नं. - 1620 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KUSUM पुत्र/पुत्री श्री MOHAN SINGH NEGI टोकन नं. 1620 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KUSUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN SINGH NEGI दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KUSUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN SINGH NEGI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/470

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KUSUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN SINGH NEGI टोकन नं. 1620 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4813, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KAVITA पुत्र/पुत्री श्री VINESH KUMAR टोकन नं. - 1633 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KAVITA पुत्र/पुत्री श्री VINESH KUMAR टोकन नं. 1633 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KAVITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VINESH KUMAR दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KAVITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VINESH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP,


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/471

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KAVITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VINESH KUMAR टोकन नं. 1633 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5172, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHANDER BHAN पुत्र/पुत्री श्री RAM GYAN टोकन नं. - 1636 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHANDER BHAN पुत्र/पुत्री श्री RAM GYAN टोकन नं. 1636 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री CHANDER BHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM GYAN दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHANDER BHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM GYAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 472

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री CHANDER BHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM GYAN टोकन नं. 1636 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5310, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411664, 2415519
Fax : 0129-24116465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SALIHA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD.IQBAL टोकन नं. - 1649 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SALIHA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD.IQBAL टोकन नं. 1649 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SALIHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD.IQBAL दिनांक 27.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SALIHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD.IQBAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/473

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SALIHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD.IQBAL टोकन नं. 1649 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5948, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2419465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ARVIND CHAUDHARY पुत्र/पुत्री श्री HARI CHAUDHARY टोकन नं. - 1653 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ARVIND CHAUDHARY पुत्र/पुत्री श्री HARI CHAUDHARY टोकन नं. 1653 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ARVIND CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...HARI CHAUDHARY दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ARVIND CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI CHAUDHARY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 474

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ARVIND CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI CHAUDHARY टोकन नं. 1653 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5923, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SARLA पुत्र/पुत्री श्री LAL RAM टोकन नं. - 1672 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SARLA पुत्र/पुत्री श्री LAL RAM टोकन नं. 1672 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SARLA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...LAL RAM दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SARLA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAL RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,Yashi copy, BANKC OPY

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 475

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SARLA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAL RAM टोकन नं. 1672 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5388, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाथ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सिक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NAHID IQBAL पुत्र/पुत्री श्री MD AZAD ANSARI टोकन नं. - 1687 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NAHID IQBAL पुत्र/पुत्री श्री MD AZAD ANSARI टोकन नं. 1687 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NAHID IQBAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD AZAD ANSARI दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NAHID IQBAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD AZAD ANSARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 476

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NAHID IQBAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD AZAD ANSARI टोकन नं. 1687 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5956, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

की.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411854, 2415549
Fax : 0129-2415495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAHANA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री MOHD. AHMED ALI टोकन नं. - 1722 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAHANA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री MOHD. AHMED ALI टोकन नं. 1722 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAHANA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. AHMED ALI दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAHANA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. AHMED ALI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy, SURVEY ID,
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 477

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAHANA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. AHMED ALI टोकन नं. 1722 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7128, 05.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LATA PANDEY पुत्र/पुत्री श्री BRIJ MOHAN PANDEY टोकन नं. - 1737 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LATA PANDEY पुत्र/पुत्री श्री BRIJ MOHAN PANDEY टोकन नं. 1737 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री LATA PANDEY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..BRIJ MOHAN PANDEY दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री LATA PANDEY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BRIJ MOHAN PANDEY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,PPP,GAS COPY, Bank copy. SURVEY ID, Yashi copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 478

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री LATA PANDEY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BRIJ MOHAN PANDEY टोकन नं. 1737 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5185, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.सी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ASHA पुत्र/पुत्री श्री AMIT LAL टोकन नं. - 1789 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ASHA पुत्र/पुत्री श्री AMIT LAL टोकन नं. 1789 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री ASHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMIT LAL दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ASHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMIT LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Yashi copy, Bank copy, SURVEY ID
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 479

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ASHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMIT LAL टोकन नं. 1789 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5320, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एम.आई.पी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD RAHIS पुत्र/पुत्री श्री **ABDUL HALIM** टोकन नं. - 1804 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD RAHIS पुत्र/पुत्री श्री ABDUL HALIM टोकन नं. 1804 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHD RAHIS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ABDUL HALIM दिनांक 17.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD RAHIS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL HALIM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, Bank copy
---	----------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 480

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHD RAHIS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL HALIM टोकन नं. 1804 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4969, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VIKAS पुत्र/पुत्री श्री CHANDRIKA PRASAD टोकन नं. - 1870 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VIKAS पुत्र/पुत्री श्री CHANDRIKA PRASAD टोकन नं. 1870 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VIKAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDRIKA PRASAD दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वाच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VIKAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDRIKA PRASAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद.

पुष्टांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/481

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VIKAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDRIKA PRASAD टोकन नं. 1870 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5546, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री IRSAD पुत्र/पुत्री श्री ISLAMU DEEN टोकन नं. - 1881 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री IRSAD पुत्र/पुत्री श्री ISLAMU DEEN टोकन नं. 1881 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री IRSAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ISLAMU DEEN दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री IRSAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ISLAMU DEEN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, Pan Card, RESPONDENT COPY, Yashi copy, MEM.SHIP
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 482

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री IRSAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ISLAMU DEEN टोकन नं. 1881 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4796, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GULEKHA KHAN पुत्र/पुत्री श्री .AHMED टोकन नं. - 1891 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GULEKHA KHAN पुत्र/पुत्री श्री AHMED टोकन नं. 1891 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GULEKHA KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...AHMED दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GULEKHA KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AHMED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PM-UDAY PAPER, MEMBERSHIP CARD
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/483

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GULEKHA KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AHMED टोकन नं. 1891 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5821, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411804, 2418549
Fax : 0129-2418455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SMT. CHHAYA पुत्र/पुत्री श्री BOBBY टोकन नं. - 1948 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SMT. CHHAYA पुत्र/पुत्री श्री BOBBY टोकन नं. 1948 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SMT. CHHAYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BOBBY दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SMT. CHHAYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BOBBY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/484

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SMT. CHHAYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BOBBY टोकन नं. 1948 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4777, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.यॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116548
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री POOJA पुत्र/पुत्री श्री ANIL KUMAR टोकन नं. - 2001 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री POOJA पुत्र/पुत्री श्री ANIL KUMAR टोकन नं. 2001 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री POOJA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ANIL KUMAR दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री POOJA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANIL KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, MEMBERSHI CARD, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/485

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री POOJA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANIL KUMAR टोकन नं. 2001 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5631, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.ओ.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001. हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411849, 2411864, 24118549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री USHA पुत्र/पुत्री श्री RAM AVTAR टोकन नं. - 2004 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री USHA पुत्र/पुत्री श्री RAM AVTAR टोकन नं. 2004 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री USHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM AVTAR दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री USHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM AVTAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/486

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री USHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM AVTAR टोकन नं. 2004 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5811, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129 2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NEETU DAS पुत्र/पुत्री श्री DEEPAK DASS टोकन नं. - 2006 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NEETU DAS पुत्र/पुत्री श्री DEEPAK DASS टोकन नं. 2006 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NEETU DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEEPAK DASS दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NEETU DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEEPAK DASS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 487

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NEETU DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEEPAK DASS टोकन नं. 2006 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4815, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री REKHA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री AJAY KUMAR टोकन नं. - 2007 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री REKHA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री AJAY KUMAR टोकन नं. 2007 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री REKHA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY KUMAR दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री REKHA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, MEMBERSHIP CARD, Yashi copy, INSURANCE PAPER, REPORT CARD, RWA SLIP
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 488

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री REKHA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY KUMAR टोकन नं. 2007 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5632, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

टी.के.बीक. एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411854, 2415548
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHEELA पुत्र/पुत्री श्री SURAJ टोकन नं. - 2045 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHEELA पुत्र/पुत्री श्री SURAJ टोकन नं. 2045 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHEELA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SURAJ दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHEELA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy
---	---------------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/489

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHEELA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURAJ टोकन नं. 2045 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5540, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SONU KOHLI पुत्र/पुत्री श्री RAMESH टोकन नं. - 2048 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SONU KOHLI पुत्र/पुत्री श्री RAMESH टोकन नं. 2048 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दाखर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SONU KOHLI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SONU KOHLI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH द्वारा दाखर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, MEMBERSHIP CARD

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 490

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SONU KOHLI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH टोकन नं. 2048 को उसके द्वारा दाखर अपील पत्र एवं दिनांक 5813, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.मोंक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411064, 2415649
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAMTA RAI पुत्र/पुत्री श्री .SUBODH RAI टोकन नं. - 2075 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAMTA RAI पुत्र/पुत्री श्री SUBODH RAI टोकन नं. 2075 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MAMTA RAI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SUBODH RAI दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAMTA RAI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUBODH RAI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 491

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAMTA RAI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUBODH RAI टोकन नं. 2075 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5410, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411854, 2415649
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUSTAFA पुत्र/पुत्री श्री ABDUL ZABBAR टोकन नं. - 2086 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUSTAFA पुत्र/पुत्री श्री ABDUL ZABBAR टोकन नं. 2086 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री MUSTAFA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ABDUL ZABBAR दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MUSTAFA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL ZABBAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,Yashi copy
---	----------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/492

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MUSTAFA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL ZABBAR टोकन नं. 2086 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5289, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NEELAM TIWARI पुत्र/पुत्री श्री HARKESH KUMAR टोकन नं. - 2101 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NEELAM TIWARI पुत्र/पुत्री श्री HARKESH KUMAR टोकन नं. 2101 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NEELAM TIWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARKESH KUMAR दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NEELAM TIWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARKESH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy,
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/493

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NEELAM TIWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARKESH KUMAR टोकन नं. 2101 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5321, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आइ.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री TABASSUM KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD. FIROZ टोकन नं. - 2117 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री TABASSUM KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD. FIROZ टोकन नं. 2117 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री TABASSUM KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. FIROZ दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री TABASSUM KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. FIROZ द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Pan Card, Yashi copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/494

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री TABASSUM KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. FIROZ टोकन नं. 2117 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5448, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 24116549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHAHJADI पुत्र/पुत्री श्री MOHD ANSARI टोकन नं. - 2183 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHAHJADI पुत्र/पुत्री श्री MOHD ANSARI टोकन नं. 2183 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SHAHJADI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ANSARI दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHAHJADI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ANSARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,Bank copy
---	-----------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 495

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHAHJADI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ANSARI टोकन नं. 2183 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 1178, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2419465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SARITA पुत्र/पुत्री श्री AJAY KUMAR टोकन नं. - 2193 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SARITA पुत्र/पुत्री श्री AJAY KUMAR टोकन नं. 2193 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SARITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY KUMAR दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SARITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, Driving Licence,
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/496

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SARITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJAY KUMAR टोकन नं. 2193 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4845, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री श्री .SUNIL टोकन नं. - 2197 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SUNIL टोकन नं. 2197 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेदनों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SUNIL दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNIL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,RESIDENT,
Bank copy, BABOUR CARD

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 497

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNIL टोकन नं. 2197 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5008, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NANNE KHAN पुत्र/पुत्री श्री SAHID KHAN टोकन नं. - 2206 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NANNE KHAN पुत्र/पुत्री श्री SAHID KHAN टोकन नं. 2206 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NANNE KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SAHID KHAN दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NANNE KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SAHID KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Aadhar Card,Ration Card,Pan Card,BANK SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 498

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NANNE KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SAHID KHAN टोकन नं. 2206 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5904, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

"Speaking Order"

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NADIM KHAN पुत्र/पुत्री श्री MUKIM KHAN टोकन नं. - 2209 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NADIM KHAN पुत्र/पुत्री श्री MUKIM KHAN टोकन नं. 2209 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री NADIM KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MUKIM KHAN दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत "आवासीय योजना" में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NADIM KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKIM KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठंकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 499

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NADIM KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKIM KHAN टोकन नं. 2209 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5905, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411669, 2411664, 2418049
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJU पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. - 2237 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJU पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. 2237 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BABU LAL दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, VOTER FORM
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/500

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL टोकन नं. 2237 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4706, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.बी.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411848, 2411884, 2415549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DEVENDRA THAKUR पुत्र/पुत्री श्री LATE KHELANAND THAKUR टोकन नं. - 2255 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DEVENDRA THAKUR पुत्र/पुत्री श्री LATE KHELANAND THAKUR टोकन नं. 2255 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DEVENDRA THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE KHELANAND THAKUR दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DEVENDRA THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE KHELANAND THAKUR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, GAS COPY, RWA SLIP, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 501

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DEVENDRA THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE KHELANAND THAKUR टोकन नं. 2255 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4595, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री M D KALAM ANSARI पुत्र/पुत्री श्री Md Naim ansari टोकन नं. - 2256 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री M D KALAM ANSARI पुत्र/पुत्री श्री Md Naim ansari टोकन नं. 2256 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री M D KALAM ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Md Naim ansari दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री M D KALAM ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md Naim ansari द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 502

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री M D KALAM ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md Naim ansari टोकन नं. 2256 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5044, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411684, 2416549
Fax : 0129-2416486

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARSINGH KHUSHWAHA टोकन नं. - 2265 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARSINGH KHUSHWAHA टोकन नं. 2265 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARSINGH KHUSHWAHA दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARSINGH KHUSHWAHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Yashi copy, REHABILITATION FORM
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 503

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARSINGH KHUSHWAHA टोकन नं. 2265 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5147, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121004, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2416049, 2411664, 2416519
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAROJ KUMAR PASWAN पुत्र/पुत्री श्री JAGDEESH PASWAN टोकन नं. -2266 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAROJ KUMAR PASWAN पुत्र/पुत्री श्री JAGDEESH PASWAN टोकन नं. 2266 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAROJ KUMAR PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...JAGDEESH PASWAN दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAROJ KUMAR PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDEESH PASWAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP, Yashi copy, REHABILITATION FORM

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 504

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAROJ KUMAR PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDEESH PASWAN टोकन नं. 2266 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5148, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Usha Rani पुत्र/पुत्री श्री Mahesh Sabharwal टोकन नं. - 2285 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Usha Rani पुत्र/पुत्री श्री Mahesh Sabharwal टोकन नं. 2285 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Usha Rani पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mahesh Sabharwal दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Usha Rani पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mahesh Sabharwal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

MEMBERSHIP SLIP, Yashi copy, BABY 3RD
CLASS REPORT CARD, REFER SUMMERY

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/505

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Usha Rani पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mahesh Sabharwal टोकन नं. 2285 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5211 A, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PANKAJ पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. - 2308 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PANKAJ पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. 2308 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PANKAJ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BABU LAL दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PANKAJ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, PPP,
---	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/506

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PANKAJ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL टोकन नं. 2308 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5577, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.ओ.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VEER BHADUR पुत्र/पुत्री श्री JHURI टोकन नं. - 2324 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VEER BHADUR पुत्र/पुत्री श्री JHURI टोकन नं. 2324 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VEER BHADUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...JHURI दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VEER BHADUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JHURI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/507

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VEER BHADUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JHURI टोकन नं. 2324 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5908, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411864, 2416649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PITAMBAR PANJIYARA पुत्र/पुत्री श्री Shree Rudreshwari Panjiyara टोकन नं. - 2342 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PITAMBAR PANJIYARA पुत्र/पुत्री श्री Shree Rudreshwari Panjiyara टोकन नं. 2342 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 28.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PITAMBAR PANJIYARA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shree Rudreshwari Panjiyara दिनांक 28.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PITAMBAR PANJIYARA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shree Rudreshwari Panjiyara द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy, STOLEN VEHICLE PAPERS
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/508

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PITAMBAR PANJIYARA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shree Rudreshwari Panjiyara टोकन नं. 2342 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4301, 21.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411651, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NISAR पुत्र/पुत्री श्री **Rajjak** टोकन नं. - 2355 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NISAR पुत्र/पुत्री श्री Rajjak टोकन नं. 2355 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NISAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Rajjak दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NISAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rajjak द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 509

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NISAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rajjak टोकन नं. 2355 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4823, 7275 01.05.2023, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री श्री BASUDEV BESAK टोकन नं. - 2365 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री श्री BASUDEV BESAK टोकन नं. 2365 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BASUDEV BESAK दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BASUDEV BESAK द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Bank copy, CENSUS SLP, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/510

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PRADEEP KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BASUDEV BESAK टोकन नं. 2365 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4998, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ASHWANI SHUKLA पुत्र/पुत्री श्री **Ramsharan shukla** टोकन नं. - 2372 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ASHWANI SHUKLA पुत्र/पुत्री श्री Ramsharan shukla टोकन नं. 2372 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ASHWANI SHUKLA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ramsharan shukla दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ASHWANI SHUKLA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramsharan shukla द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, ALLOTMENT LETTER, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 511

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ASHWANI SHUKLA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramsharan shukla टोकन नं. 2372 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5096, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANNUJ SHARMA पुत्र/पुत्री श्री DASRAT SHARMA टोकन नं. - 2379 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANNUJ SHARMA पुत्र/पुत्री श्री DASRAT SHARMA टोकन नं. 2379 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री ANNUJ SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DASRAT SHARMA दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANNUJ SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DASRAT SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/512

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANNUJ SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DASRAT SHARMA टोकन नं. 2379 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5216, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sarsawati Devi पुत्र/पुत्री श्री **Rajesh Kumar mistri** टोकन नं. - 2388 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sarsawati Devi पुत्र/पुत्री श्री Rajesh Kumar mistri टोकन नं. 2388 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sarsawati Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Rajesh Kumar mistri दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sarsawati Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rajesh Kumar mistri द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/513

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sarsawati Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rajesh Kumar mistri टोकन नं. 2388 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4582, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करारधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.जे.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DILIP PANDIT पुत्र/पुत्री श्री Ramchandra pandit टोकन नं. - 2401 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DILIP PANDIT पुत्र/पुत्री श्री Ramchandra pandit टोकन नं. 2401 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DILIP PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ramchandra pandit दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DILIP PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramchandra pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/514

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DILIP PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramchandra pandit टोकन नं. 2401 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5902, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415519
Fax : 0129-2415466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sitara Begum पुत्र/पुत्री श्री Anwar khan टोकन नं. - 2408 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sitara Begum पुत्र/पुत्री श्री Anwar khan टोकन नं. 2408 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sitara Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anwar khan दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sitara Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anwar khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,MEMBERSHIP CARD

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 515

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sitara Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Anwar khan टोकन नं. 2408 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5484, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ruby shakya पुत्र/पुत्री श्री **ASHOK KUMAR** टोकन नं. - 2427 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ruby shakya पुत्र/पुत्री श्री **ASHOK KUMAR** टोकन नं. 2427 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ruby shakya पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **ASHOK KUMAR** दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ruby shakya पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **ASHOK KUMAR** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,Affidavit, SURVEY ID,


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/516

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ruby shakya पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **ASHOK KUMAR** टोकन नं. 2427 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5228, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411604, 2415549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAMESH CHANDER VERMA पुत्र/पुत्री श्री BRIJ MOHAN VERMA टोकन नं. - 2439 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAMESH CHANDER VERMA पुत्र/पुत्री श्री BRIJ MOHAN VERMA टोकन नं. 2439 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निणर्य लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAMESH CHANDER VERMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BRIJ MOHAN VERMA दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAMESH CHANDER VERMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BRIJ MOHAN VERMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,REHABILITATION FORM, SURVEY ID,
BIRTH CERTIFICATE, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 517

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAMESH CHANDER VERMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BRIJ MOHAN VERMA टोकन नं. 2439 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5615, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2416349
Fax.: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PUSHPA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री BIMAL VISHWAS टोकन नं. - 2444 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PUSHPA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री BIMAL VISHWAS टोकन नं. 2444 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PUSHPA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIMAL VISHWAS दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PUSHPA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIMAL VISHWAS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy, SURVEY ID
---	----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/518

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PUSHPA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIMAL VISHWAS टोकन नं. 2444 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4729, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM PRAVESH टोकन नं. - 2449 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM PRAVESH टोकन नं. 2449 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM PRAVESH दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वाच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM PRAVESH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Yashi copy
---	------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/519

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM PRAVESH टोकन नं. 2449 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4996, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416486

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DEVINDER KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chandra bhan टोकन नं. - 2456 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DEVINDER KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chandra bhan टोकन नं. 2456 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DEVINDER KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Chandra bhan दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DEVINDER KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chandra bhan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, MEMBERSHIP CARD, COURT COPY, Bank copy, SURVEY ID, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/520

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DEVINDER KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chandra bhan टोकन नं. 2456 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5171, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411664, 24116549
Fax : 0129-2419465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Jasar mukiya पुत्र/पुत्री श्री .Moti mukiya टोकन नं. - 2458 द्वारा अपील के निगर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Jasar mukiya पुत्र/पुत्री श्री Moti mukiya टोकन नं. 2458 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Jasar mukiya पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .Moti mukiya दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Jasar mukiya पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Moti mukiya द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, PPP, Yashi copy,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/521

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Jasar mukiya पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Moti mukiya टोकन नं. 2458 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4814, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ABHIMANU SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Arjun Sharma टोकन नं. - 2466 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ABHIMANU SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Arjun Sharma टोकन नं. 2466 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री ABHIMANU SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun Sharma दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ABHIMANU SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP,
---	-------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 522

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ABHIMANU SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun Sharma टोकन नं. 2466 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5215, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.सी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411854, 2415549
Fax : 0129-2416496

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुनर्वास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री Dharmendr raj banshi टोकन नं. - 2468 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री Dharmendr raj banshi टोकन नं. 2468 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Dharmendr raj banshi दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dharmendr raj banshi द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, RWA SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 523

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dharmendr raj banshi टोकन नं. 2468 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4826, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुनर्वास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VIRENDRA SINGH पुत्र/पुत्री श्री Manveer singh टोकन नं. -2469 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VIRENDRA SINGH पुत्र/पुत्री श्री Manveer singh टोकन नं. 2469 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री VIRENDRA SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manveer singh दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VIRENDRA SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manveer singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	HOUSE PHOTO, RWA SLIP
---	-----------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 524

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री VIRENDRA SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manveer singh टोकन नं. 2469 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4631, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.ओ.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001. हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411854, 2416549
Fax : 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BHUPENDRA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Thakur Sharma टोकन नं. - 2471 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BHUPENDRA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Thakur Sharma टोकन नं. 2471 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BHUPENDRA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Thakur Sharma दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BHUPENDRA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Thakur Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, Yashi copy
---	-----------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/525

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BHUPENDRA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Thakur Sharma टोकन नं. 2471 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4588, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax: 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री श्री Vasedev pandit टोकन नं. - 2476 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री श्री Vasedev pandit टोकन नं. 2476 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vasedev pandit दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vasedev pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 526

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vasedev pandit टोकन नं. 2476 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4730, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411619, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUBHASH THAKUR पुत्र/पुत्री श्री JAGDISH THAKUR टोकन नं. - 2484 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUBHASH THAKUR पुत्र/पुत्री श्री JAGDISH THAKUR टोकन नं. 2484 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SUBHASH THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH THAKUR दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUBHASH THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH THAKUR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 527

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUBHASH THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH THAKUR टोकन नं. 2484 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5507, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411019, 2411064, 2411549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Kusum पुत्र/पुत्री श्री Kartar टोकन नं. - 2485 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Kusum पुत्र/पुत्री श्री Kartar टोकन नं. 2485 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Kusum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kartar दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Kusum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kartar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy
---	-------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठानकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 528

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Kusum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kartar टोकन नं. 2485 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5586, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुनर्वास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJAENDAR SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Dhanik sharma टोकन नं. - 2491 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJAENDAR SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Dhanik sharma टोकन नं. 2491 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJAENDAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dhanik sharma दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJAENDAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dhanik sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,PROPERTY DETAIL

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/529

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJAENDAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dhanik sharma टोकन नं. 2491 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4825, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Samina khatun पुत्र/पुत्री श्री Mohd nihal टोकन नं. - 2492 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Samina khatun पुत्र/पुत्री श्री Mohd nihal टोकन नं. 2492 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Samina khatun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohd nihal दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Samina khatun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd nihal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 530

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Samina khatun पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd nihal टोकन नं. 2492 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4864, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KHUSHBUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री ABDUL JABBAR टोकन नं. - 2494 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KHUSHBUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री ABDUL JABBAR टोकन नं. 2494 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री KHUSHBUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ABDUL JABBAR दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KHUSHBUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL JABBAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,PPP,SURVEY ID, Yashi copy
---	--------------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 531

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KHUSHBUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL JABBAR टोकन नं. 2494 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4970, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.योक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LADLI KHATUN पुत्र/पुत्री श्री MOHD ILYAS टोकन नं. - 2498 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LADLI KHATUN पुत्र/पुत्री श्री MOHD ILYAS टोकन नं. 2498 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री LADLI KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ILYAS दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री LADLI KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ILYAS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,Bank copy
---	---------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/532

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री LADLI KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ILYAS टोकन नं. 2498 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4866, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जॉक, एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mariyam khatoon पुत्र/पुत्री श्री Nihaal टोकन नं. - 2500 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mariyam khatoon पुत्र/पुत्री श्री Nihaal टोकन नं. 2500 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mariyam khatoon पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Nihaal दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mariyam khatoon पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nihaal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Ayshman card, Yashi copy, BABY VACINATION CARD
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/533

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mariyam khatoon पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nihaal टोकन नं. 2500 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4865, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD SAKIL पुत्र/पुत्री श्री MOHD AKHTAR टोकन नं. - 2514 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD SAKIL पुत्र/पुत्री श्री MOHD AKHTAR टोकन नं. 2514 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHD SAKIL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD AKHTAR दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD SAKIL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD AKHTAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/534

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHD SAKIL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD AKHTAR टोकन नं. 2514 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4787, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Dharmendra chaudhary पुत्र/पुत्री श्री Vijay chaudhary टोकन नं. - 2533 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Dharmendra chaudhary पुत्र/पुत्री श्री Vijay chaudhary टोकन नं. 2533 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Dharmendra chaudhary पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Vijay chaudhary दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Dharmendra chaudhary पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vijay chaudhary द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,Yashi copy, SURVEY ID
---	---------------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/535

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Dharmendra chaudhary पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vijay chaudhary टोकन नं. 2533 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5468, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411849, 2411864, 2415649
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय— नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री HARISH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RAMDAS टोकन नं. - 2537 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री HARISH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RAMDAS टोकन नं. 2537 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री HARISH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAMDAS दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वाच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री HARISH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMDAS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/536

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री HARISH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMDAS टोकन नं. 2537 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5570, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 24118664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RITESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chote mistri टोकन नं. - 2544 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RITESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chote mistri टोकन नं. 2544 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री RITESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Chote mistri दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RITESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chote mistri द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Driving Licence, Yashi copy, Bank copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 537

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RITESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chote mistri टोकन नं. 2544 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4705, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बंटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AMAR KUMAR पुत्र/पुत्री श्री .BASU DEV RAM टोकन नं. -2562 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AMAR KUMAR पुत्र/पुत्री श्री BASU DEV RAM टोकन नं. 2562 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AMAR KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BASU DEV RAM दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AMAR KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BASU DEV RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Bank copy, REHABILITATION FORM

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 538

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AMAR KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BASU DEV RAM टोकन नं. 2562 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5378, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411964, 2413549
Fax : 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Rajiy Begum पुत्र/पुत्री श्री Md idrish टोकन नं. - 2576 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Rajiy Begum पुत्र/पुत्री श्री Md idrish टोकन नं. 2576 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Rajiy Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Md idrish दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Rajiy Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md idrish द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Pan Card, Yashi copy, GAS COPY.

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 539

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Rajiy Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md idrish टोकन नं. 2576 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5488, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel: 0129-241649, 2411664, 2416549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Durga Bahadur पुत्र/पुत्री श्री **Tikaram** टोकन नं. - 2578 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Durga Bahadur पुत्र/पुत्री श्री Tikaram टोकन नं. 2578 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Durga Bahadur पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Tikaram दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Durga Bahadur पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Tikaram द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 540

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Durga Bahadur पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Tikaram टोकन नं. 2578 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5103, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411639, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM PRAVESH SHARMA पुत्र/पुत्री श्री .Soti lal sharma टोकन नं. - 2583 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM PRAVESH SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Soti lal sharma टोकन नं. 2583 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM PRAVESH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Soti lal sharma दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM PRAVESH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Soti lal sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy, CENSUS COPY, ESIC PAPER
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 541

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM PRAVESH SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Soti lal sharma टोकन नं. 2583 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4891, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411654, 2411654-9
Fax : 0129-24116455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Nazma khatoon पुत्र/पुत्री श्री Md Eqbal टोकन नं. - 2598 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Nazma khatoon पुत्र/पुत्री श्री Md Eqbal टोकन नं. 2598 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Nazma khatoon पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md Eqbal दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Nazma khatoon पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md Eqbal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 542

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Nazma khatoon पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md Eqbal टोकन नं. 2598 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4867, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHakila Bano पुत्र/पुत्री श्री Sunil Mohammad टोकन नं. - 2602 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHakila Bano पुत्र/पुत्री श्री Sunil Mohammad टोकन नं. 2602 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री SHakila Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sunil Mohammad दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHakila Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sunil Mohammad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 543

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHakila Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sunil Mohammad टोकन नं. 2602 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5531, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.को.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2413465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM BAHADUR SINGH पुत्र/पुत्री श्री RAGHWAR SINGH टोकन नं. - 2608 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM BAHADUR SINGH पुत्र/पुत्री श्री RAGHWAR SINGH टोकन नं. 2608 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM BAHADUR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAGHWAR SINGH दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM BAHADUR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAGHWAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 544

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM BAHADUR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAGHWAR SINGH टोकन नं. 2608 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4788, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाष्ट प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 241654, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KALPANA VISHWAS पुत्र/पुत्री श्री OKHAI VISWASH टोकन नं. - 2609 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KALPANA VISHWAS पुत्र/पुत्री श्री OKHAI VISWASH टोकन नं. 2609 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KALPANA VISHWAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...OKHAI VISWASH दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KALPANA VISHWAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री OKHAI VISWASH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 545

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KALPANA VISHWAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री OKHAI VISWASH टोकन नं. 2609 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4935, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RIMA DEVI पुत्र/पुत्री श्री VISHNU DEV टोकन नं. - 2610 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RIMA DEVI पुत्र/पुत्री श्री VISHNU DEV टोकन नं. 2610 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RIMA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...VISHNU DEV दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RIMA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VISHNU DEV द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,
---	------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 546

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RIMA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VISHNU DEV टोकन नं. 2610 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4454, 25.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PALLAVI KUMARI पुत्र/पुत्री श्री RANJAN KUMAR SINGH टोकन नं. - 2616 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PALLAVI KUMARI पुत्र/पुत्री श्री RANJAN KUMAR SINGH टोकन नं. 2616 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PALLAVI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RANJAN KUMAR SINGH दिनांक 30.06.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PALLAVI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RANJAN KUMAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP,
---	-------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/547

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PALLAVI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RANJAN KUMAR SINGH टोकन नं. 2616 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4455, 25.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.मोंक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KUSUMA WATI DEVI पुत्र/पुत्री श्री PUNWASHI टोकन नं. - 2627 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KUSUMA WATI DEVI पुत्र/पुत्री श्री PUNWASHI टोकन नं. 2627 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KUSUMA WATI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PUNWASHI दिनांक 19.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KUSUMA WATI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PUNWASHI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, MEMBERSHIP CARD, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 548

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KUSUMA WATI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PUNWASHI टोकन नं. 2627 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5568, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GULAM MUSTAFA पुत्र/पुत्री श्री **Mohammad Habib Ansari** टोकन नं. - 2630 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GULAM MUSTAFA पुत्र/पुत्री श्री Mohammad Habib Ansari टोकन नं. 2630 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GULAM MUSTAFA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohammad Habib Ansari दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GULAM MUSTAFA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad Habib Ansari द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/549

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GULAM MUSTAFA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad Habib Ansari टोकन नं. 2630 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4699, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM KHATRI पुत्र/पुत्री श्री MOHAN KHATRI टोकन नं. - 2631 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM KHATRI पुत्र/पुत्री श्री MOHAN KHATRI टोकन नं. 2631 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM KHATRI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MOHAN KHATRI दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM KHATRI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN KHATRI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, RWA SLIP, MEMBERSHIP CARD
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 550

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM KHATRI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN KHATRI टोकन नं. 2631 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4939, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax: 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LAJJAWATI पुत्र/पुत्री श्री **SIHA RAM** टोकन नं. - 2637 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LAJJAWATI पुत्र/पुत्री श्री SIHA RAM टोकन नं. 2637 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री LAJJAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SIHA RAM दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री LAJJAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SIHA RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/551

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री LAJJAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SIHA RAM टोकन नं. 2637 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5641, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं करीबान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411694, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SATYAWATI पुत्र/पुत्री श्री SUBHASH टोकन नं. - 2640 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SATYAWATI पुत्र/पुत्री श्री SUBHASH टोकन नं. 2640 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SATYAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUBHASH दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SATYAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUBHASH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 552

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SATYAWATI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUBHASH टोकन नं. 2640 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4784, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कक्षाधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बंटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Savila Bano पुत्र/पुत्री श्री Abdul Khan टोकन नं. - 2649 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Savila Bano पुत्र/पुत्री श्री Abdul Khan टोकन नं. 2649 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Savila Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Khan दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Savila Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, RWA SLIP,
MEMBERSHIP CARD, Bank copy


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 553

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Savila Bano पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Khan टोकन नं. 2649 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4641, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.वी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 9129-2419485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BHOLA THAPA पुत्र/पुत्री श्री DAL BAHADUR THAPA टोकन नं. - 2652 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BHOLA THAPA पुत्र/पुत्री श्री DAL BAHADUR THAPA टोकन नं. 2652 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BHOLA THAPA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DAL BAHADUR THAPA दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BHOLA THAPA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DAL BAHADUR THAPA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,REHABILITATION FORM, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/554

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BHOLA THAPA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DAL BAHADUR THAPA टोकन नं. 2652 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5097, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sambhu Kumar पुत्र/पुत्री श्री Ram Dayal Shah टोकन नं. - 2657 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sambhu Kumar पुत्र/पुत्री श्री Ram Dayal Shah टोकन नं. 2657 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sambhu Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ram Dayal Shah दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sambhu Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Dayal Shah द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/555

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sambhu Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Dayal Shah टोकन नं. 2657 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4781, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री KESHAV टोकन नं. - 2664 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री KESHAV टोकन नं. 2664 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNITA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KESHAV दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KESHAV द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 556

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KESHAV टोकन नं. 2664 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5926, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

पी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Rubi Devi पुत्र/पुत्री श्री .Mukesh Shah टोकन नं. - 2666 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Rubi Devi पुत्र/पुत्री श्री Mukesh Shah टोकन नं. 2666 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Rubi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Mukesh Shah दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Rubi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mukesh Shah द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card,PPP,RWA SLIP, MEMBERSHIP CARD,
Yashi copy


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/557

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Rubi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mukesh Shah टोकन नं. 2666 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5284, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी बासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रदद आवेदन के विरुद्ध श्री Laxmi Devi पुत्र/पुत्री श्री Bhagwan Singh टोकन नं. - 2668 द्वारा अपील के निगम्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रदद कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Laxmi Devi पुत्र/पुत्री श्री Bhagwan Singh टोकन नं. 2668 का आवेदन भी रदद कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Laxmi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwan Singh दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Laxmi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwan Singh द्वारा दायर अपील को रदद किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Ayshman card, Yashi copy, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 558

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Laxmi Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhagwan Singh टोकन नं. 2668 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4942, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ARZOO KHATUN पुत्र/पुत्री श्री Late. Marhoom naeem टोकन नं. - 2685 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ARZOO KHATUN पुत्र/पुत्री श्री Late. Marhoom naeem टोकन नं. 2685 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ARZOO KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late. Marhoom naeem दिनांक 03.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ARZOO KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late. Marhoom naeem द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0निफ0/ए0ई0ओ0/2024/559

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ARZOO KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late. Marhoom naeem टोकन नं. 2685 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4938, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया

Tel : 0129-2411649, 2411654, 2418549

Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SARIKA पुत्र/पुत्री श्री NETRA PAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SARIKA पुत्र/पुत्री श्री NETRA PAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SARIKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...NETRA PAL दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SARIKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NETRA PAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/870

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SARIKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NETRA PAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4593/5299, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लककड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री श्री Sube Lal mistri टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लककड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री श्री Sube Lal mistri टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sube Lal mistri दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sube Lal mistri द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 871

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sube Lal mistri टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5295, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

k
क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

मी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ROUNAK BEGUM पुत्र/पुत्री श्री Hashid khan टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ROUNAK BEGUM पुत्र/पुत्री श्री Hashid khan टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ROUNAK BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Hashid khan दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ROUNAK BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hashid khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,SURVET ID, Yashi
copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/872

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ROUNAK BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Hashid khan टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4798, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJ KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Meghi tanti टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJ KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Meghi tanti टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Meghi tanti दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Meghi tanti द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 873

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJ KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Meghi tanti टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5167, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RESHMA पुत्र/पुत्री श्री DILSHAD KHAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RESHMA पुत्र/पुत्री श्री DILSHAD KHAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RESHMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DILSHAD KHAN दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RESHMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DILSHAD KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy, CANCELLED CHEQUE, LABOUR CARD
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/874

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RESHMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DILSHAD KHAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5962, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

भी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SONI DEVI पुत्र/पुत्री श्री .Sobran singh टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SONI DEVI पुत्र/पुत्री श्री Sobran singh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SONI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sobran singh दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SONI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sobran singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card,Aadhar Card,Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/875

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SONI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sobran singh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6004, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करीबान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415849
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Avinash Kumar Upadhyay पुत्र/पुत्री श्री Ashok kumar Upadhyay टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निगर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Avinash Kumar Upadhyay पुत्र/पुत्री श्री Ashok kumar Upadhyay टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Avinash Kumar Upadhyay पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashok kumar Upadhyay दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Avinash Kumar Upadhyay पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashok kumar Upadhyay द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Bank copy. SUMMON PAPER

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/876

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Avinash Kumar Upadhyay पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashok kumar Upadhyay टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5612, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411646, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SATISH THAKUR पुत्र/पुत्री श्री .BADAN THAKUR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SATISH THAKUR पुत्र/पुत्री श्री BADAN THAKUR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SATISH THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..BADAN THAKUR दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SATISH THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BADAN THAKUR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्टांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 877

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SATISH THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BADAN THAKUR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5689, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री श्री Nakachhed टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री श्री Nakachhed टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Nakachhed दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nakachhed द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 878

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GUDIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nakachhed टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5639, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.यॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-241649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री श्री MOHD TAJUDDIN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री श्री MOHD TAJUDDIN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MOHD TAJUDDIN दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD TAJUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Bank copy, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 879

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GULAM SARVAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD TAJUDDIN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5032, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2413549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANOJ SHARMA पुत्र/पुत्री श्री BANWARI SHARMA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANOJ SHARMA पुत्र/पुत्री श्री BANWARI SHARMA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MANOJ SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BANWARI SHARMA दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANOJ SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BANWARI SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, Pan Card, Yashi copy, Bank copy, RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/880

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANOJ SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BANWARI SHARMA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5384, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415519
Fax : 0129-2416405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ARVIND KUMAR पुत्र/पुत्री श्री MANTRI RAM टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ARVIND KUMAR पुत्र/पुत्री श्री MANTRI RAM टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ARVIND KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANTRI RAM दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ARVIND KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANTRI RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, MEMBERSHIP CARD, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 881

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ARVIND KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANTRI RAM टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5966, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बोक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAHESH TIWARI पुत्र/पुत्री श्री SHAMBHU DAYAL TIWARI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAHESH TIWARI पुत्र/पुत्री श्री SHAMBHU DAYAL TIWARI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MAHESH TIWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SHAMBHU DAYAL TIWARI दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAHESH TIWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAMBHU DAYAL TIWARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, VOTER ID SLIP, Bank copy, LABOUR CARD
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 882

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAHESH TIWARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAMBHU DAYAL TIWARI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5090/5092, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाएं प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411646, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MASUMA SHAIKH पुत्र/पुत्री श्री **Roup Ali Shaikh** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MASUMA SHAIKH पुत्र/पुत्री श्री Roup Ali Shaikh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MASUMA SHAIKH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Roup Ali Shaikh दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MASUMA SHAIKH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Roup Ali Shaikh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, SURVEY ID, POSTAL ADDRESS SLIP, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 883

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MASUMA SHAIKH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Roup Ali Shaikh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5687, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411854, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Anamika पुत्र/पुत्री श्री .Gautam Chauhan टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Anamika पुत्र/पुत्री श्री Gautam Chauhan टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Anamika पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..Gautam Chauhan दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Anamika पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gautam Chauhan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,Ration Card,PPP,Bank copy
---	--------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/884

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Anamika पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gautam Chauhan टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5110, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.वी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411894, 2415519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Bheem Chauhan पुत्र/पुत्री श्री Swami Nath टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Bheem Chauhan पुत्र/पुत्री श्री Swami Nath टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Bheem Chauhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Swami Nath दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Bheem Chauhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Swami Nath द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, FIR REPORT
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/885

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Bheem Chauhan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Swami Nath टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5109, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री .SANTOSH ROY टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री SANTOSH ROY टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SANTOSH ROY दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANTOSH ROY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/886

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANTOSH ROY टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5060, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANTOSH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री .RAM GOPAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANTOSH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RAM GOPAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANTOSH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM GOPAL दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANTOSH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM GOPAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 887

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANTOSH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM GOPAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5323, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BRIJ LAL पुत्र/पुत्री श्री KANTI LAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BRIJ LAL पुत्र/पुत्री श्री KANTI LAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BRIJ LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KANTI LAL दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BRIJ LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KANTI LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card,
---	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/888

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BRIJ LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KANTI LAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5225, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415849
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJA RAM SHARMA पुत्र/पुत्री श्री RAM UDGAR SHARMA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJA RAM SHARMA पुत्र/पुत्री श्री RAM UDGAR SHARMA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री RAJA RAM SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM UDGAR SHARMA दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJA RAM SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM UDGAR SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, LABOUR CARD, Bank copy, Yashi copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/889

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJA RAM SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM UDGAR SHARMA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4678, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

पी.ओ.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUBASH पुत्र/पुत्री श्री JOKHAN PRASAD टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUBASH पुत्र/पुत्री श्री JOKHAN PRASAD टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUBASH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JOKHAN PRASAD दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUBASH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JOKHAN PRASAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card
---	-------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/890

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUBASH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JOKHAN PRASAD टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5909, 11.05.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.पॉक, एन.आई.पी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411064, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJKUMAR पुत्र/पुत्री श्री Manapal टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJKUMAR पुत्र/पुत्री श्री Manapal टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJKUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Manapal दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJKUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manapal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/891

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJKUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manapal टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5737, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax: 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHANDNI पुत्र/पुत्री श्री JAVED टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHANDNI पुत्र/पुत्री श्री JAVED टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री CHANDNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...JAVED दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHANDNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAVED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, RWA SLIP, REPORT CARD, Bank
copy,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/892

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री CHANDNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAVED टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5724, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.वोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411064, 2415649
Fax : 0129-2415485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DEEPAK BHARTI पुत्र/पुत्री श्री PARAS RAM टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DEEPAK BHARTI पुत्र/पुत्री श्री PARAS RAM टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DEEPAK BHARTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...PARAS RAM दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DEEPAK BHARTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PARAS RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card,
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 893

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DEEPAK BHARTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PARAS RAM टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6003, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MADAANKUMAR BALIRAM WANKHADE पुत्र/पुत्री श्री **BALI RAM WANKHADE** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MADAANKUMAR BALIRAM WANKHADE पुत्र/पुत्री श्री BALI RAM WANKHADE टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MADAANKUMAR BALIRAM WANKHADE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...BALI RAM WANKHADE दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MADAANKUMAR BALIRAM WANKHADE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BALI RAM WANKHADE द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/894

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MADAANKUMAR BALIRAM WANKHADE पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BALI RAM WANKHADE टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5343 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री mohd kamal पुत्र/पुत्री श्री mohd khalil टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री mohd kamal पुत्र/पुत्री श्री mohd khalil टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री mohd kamal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...mohd khalil दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री mohd kamal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री mohd khalil द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0न0फ0/ए0ई0ओ0/2024/895

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री mohd kamal पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री mohd khalil टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5465, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया

Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549

Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NITIN पुत्र/पुत्री श्री **TRILOK CHAND** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NITIN पुत्र/पुत्री श्री **TRILOK CHAND** टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतू बुलाया गया ।

श्री NITIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **TRILOK CHAND** दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतू सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतू विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतू व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतू पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NITIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **TRILOK CHAND** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, Bank copy, BABY BIRTH CERTIFICATE
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 896

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NITIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **TRILOK CHAND** टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5949, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.पी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax: 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJ KUMAR GERA पुत्र/पुत्री श्री RAM PARKASH GARA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJ KUMAR GERA पुत्र/पुत्री श्री RAM PARKASH GARA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJ KUMAR GERA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM PARKASH GARA दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJ KUMAR GERA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM PARKASH GARA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP,
---	-------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 897

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJ KUMAR GERA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM PARKASH GARA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5419, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाथ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAZIYA पुत्र/पुत्री श्री BABU KHAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAZIYA पुत्र/पुत्री श्री BABU KHAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAZIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU KHAN दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAZIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 898

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAZIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU KHAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5447 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.बॉक्स, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Roshan Jha पुत्र/पुत्री श्री Gulab Jha टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Roshan Jha पुत्र/पुत्री श्री Gulab Jha टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Roshan Jha पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gulab Jha दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Roshan Jha पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gulab Jha द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Ayushman card, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 899

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Roshan Jha पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gulab Jha टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4230, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ruksana Begum पुत्र/पुत्री श्री .Akbar टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ruksana Begum पुत्र/पुत्री श्री Akbar टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Ruksana Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Akbar दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Ruksana Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Akbar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,Yashi copy
---	----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 900

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Ruksana Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Akbar टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5450, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2416649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHABNAM SULTANA पुत्र/पुत्री श्री MOHD. MOINUDDIN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHABNAM SULTANA पुत्र/पुत्री श्री MOHD. MOINUDDIN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHABNAM SULTANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. MOINUDDIN दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHABNAM SULTANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. MOINUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/901

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHABNAM SULTANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. MOINUDDIN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5954, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद -121061, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Urmila Devi पुत्र/पुत्री श्री **Ambika Prasad Singh** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Urmila Devi पुत्र/पुत्री श्री Ambika Prasad Singh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Urmila Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ambika Prasad Singh दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Urmila Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ambika Prasad Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, MEMBERSHIP CARD

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 902

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Urmila Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ambika Prasad Singh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5688, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.खोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AJIT SINGH पुत्र/पुत्री श्री TRILOK NATH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AJIT SINGH पुत्र/पुत्री श्री TRILOK NATH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AJIT SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TRILOK NATH दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AJIT SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TRILOK NATH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 903

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AJIT SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TRILOK NATH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6219, 16.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एच.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415519
Fax : 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sunil Kumar Pandey पुत्र/पुत्री श्री Dinanath Pandey टोकन नं. - 2641 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sunil Kumar Pandey पुत्र/पुत्री श्री Dinanath Pandey टोकन नं. 2641 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sunil Kumar Pandey पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinanath Pandey दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sunil Kumar Pandey पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinanath Pandey द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Yashi copy, MEMBERSHIP CARD, Bank copy, PROPERTY DETAIL
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 904

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sunil Kumar Pandey पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinanath Pandey टोकन नं. 2641 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5359, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.यॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411064, 2415549
Fax: 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री UDAY CHAUDHARY पुत्र/पुत्री श्री RAJENDER CHAUDHARY टोकन नं. - 1320 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री UDAY CHAUDHARY पुत्र/पुत्री श्री RAJENDER CHAUDHARY टोकन नं. 1320 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री UDAY CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDER CHAUDHARY दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री UDAY CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDER CHAUDHARY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, YAHSI COPY, Bank copy, FAMILY DETAIL
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी,
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 905

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री UDAY CHAUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDER CHAUDHARY टोकन नं. 1320 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6060, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416546
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KANHAYI NISHAD टोकन नं. - 1073 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KANHAYI NISHAD टोकन नं. 1073 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KANHAYI NISHAD दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KANHAYI NISHAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/906

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KANHAYI NISHAD टोकन नं. 1073 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5356, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जीक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHALIRAM TOTI पुत्र/पुत्री श्री .Arjun toti टोकन नं. - 4120 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHALIRAM TOTI पुत्र/पुत्री श्री Arjun toti टोकन नं. 4120 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHALIRAM TOTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Arjun toti दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHALIRAM TOTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun toti द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Bank copy, Affidavit

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/907

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHALIRAM TOTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Arjun toti टोकन नं. 4120 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6063, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री USHA RANI पुत्र/पुत्री श्री KRISHAN PAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री USHA RANI पुत्र/पुत्री श्री KRISHAN PAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री USHA RANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KRISHAN PAL दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री USHA RANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KRISHAN PAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Driving Licence,Bank copy, REHABILITATION FORM
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 908

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री USHA RANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KRISHAN PAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6901, 30.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.नॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411804, 2418549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Dhrista Kumar Rasaily पुत्र/पुत्री श्री **H B rasaily** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Dhrista Kumar Rasaily पुत्र/पुत्री श्री **H B rasaily** टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Dhrista Kumar Rasaily पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **H B rasaily** दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Dhrista Kumar Rasaily पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **H B rasaily** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 909

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Dhrista Kumar Rasaily पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **H B rasaily** टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6223, 16.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा- इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2418849
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sanju Tiwari पुत्र/पुत्री श्री .Prabhu Nath Singh टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sanju Tiwari पुत्र/पुत्री श्री Prabhu Nath Singh टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Sanju Tiwari पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Prabhu Nath Singh दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sanju Tiwari पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prabhu Nath Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 910

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Sanju Tiwari पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prabhu Nath Singh टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6048, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ओ.क. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2415519
Fax: 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD SAMI पुत्र/पुत्री श्री MOHD SALAUDDIN टोकन नं. - 3830 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD SAMI पुत्र/पुत्री श्री MOHD SALAUDDIN टोकन नं. 3830 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHD SAMI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD SALAUDDIN दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD SAMI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD SALAUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, LABOUR CARD

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/911

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHD SAMI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD SALAUDDIN टोकन नं. 3830 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6231, 16.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AAKASH GUPTA पुत्र/पुत्री श्री RAMESH GUPTA टोकन नं. - 3293 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AAKASH GUPTA पुत्र/पुत्री श्री RAMESH GUPTA टोकन नं. 3293 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AAKASH GUPTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH GUPTA दिनांक 20.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AAKASH GUPTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH GUPTA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/912

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AAKASH GUPTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH GUPTA टोकन नं. 3293 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6694, 25.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.पॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रदद आवेदन के विरुद्ध श्री SUNIL KUMAR पुत्र/पुत्री श्री MADAN LAL टोकन नं. - 1637 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रदद कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNIL KUMAR पुत्र/पुत्री श्री MADAN LAL टोकन नं. 1637 का आवेदन भी रदद कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNIL KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MADAN LAL दिनांक 20.07.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNIL KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MADAN LAL द्वारा दायर अपील को रदद किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/913

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNIL KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MADAN LAL टोकन नं. 1637 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6049, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.डी.सी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411884, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA DAS पुत्र/पुत्री श्री HARAL MANDAL टोकन नं. - 4329 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA DAS पुत्र/पुत्री श्री HARAL MANDAL टोकन नं. 4329 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNITA DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...HARAL MANDAL दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARAL MANDAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, GAS COPY, SURVEY ID
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/736

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARAL MANDAL टोकन नं. 4329 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 1457 (JCT), 497, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-121001
Tel : 0129-2411629, 2411654, 2415849
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJAY DAS पुत्र/पुत्री श्री YOGESH DAS टोकन नं. - 4330 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJAY DAS पुत्र/पुत्री श्री YOGESH DAS टोकन नं. 4330 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANJAY DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...YOGESH DAS दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANJAY DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री YOGESH DAS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy, SURVEY ID

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/737

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANJAY DAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री YOGESH DAS टोकन नं. 4330 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 1456 (JCT), 496, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411064, 2411649
Fax: 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMJIVAN GURMETA टोकन नं. - 4338 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMJIVAN GURMETA टोकन नं. 4338 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAMJIVAN GURMETA दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMJIVAN GURMETA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 738

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMJIVAN GURMETA टोकन नं. 4338 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4817, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक्स, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2411549
Fax: 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AMJAD IDRISHI पुत्र/पुत्री श्री HABILULLA टोकन नं. - 4356 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AMJAD IDRISHI पुत्र/पुत्री श्री HABILULLA टोकन नं. 4356 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री AMJAD IDRISHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HABILULLA दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AMJAD IDRISHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HABILULLA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 739

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AMJAD IDRISHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HABILULLA टोकन नं. 4356 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4906, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAMMAD PARWEZ पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD ZAIHRUDDIN टोकन नं. - 4411 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAMMAD PARWEZ पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD ZAIHRUDDIN टोकन नं. 4411 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHAMMAD PARWEZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ZAIHRUDDIN दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAMMAD PARWEZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ZAIHRUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/740

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHAMMAD PARWEZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ZAIHRUDDIN टोकन नं. 4411 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4853, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JORJ KERKRTTA पुत्र/पुत्री श्री Amrish Kerketta टोकन नं. - 4412 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JORJ KERKRTTA पुत्र/पुत्री श्री Amrish Kerketta टोकन नं. 4412 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JORJ KERKRTTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Amrish Kerketta दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JORJ KERKRTTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Amrish Kerketta द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card,PPP,Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 741

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JORJ KERKRTTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Amrish Kerketta टोकन नं. 4412 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5258, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.रोड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RIZAWANA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री Abdul SATTAAR टोकन नं. - 4447 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RIZAWANA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री Abdul SATTAAR टोकन नं. 4447 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RIZAWANA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Abdul SATTAAR दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RIZAWANA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul SATTAAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 742

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RIZAWANA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul SATTAAR टोकन नं. 4447 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4968, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2411649, 2411664, 2415519
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DESH DEEPAK पुत्र/पुत्री श्री PREM NATH टोकन नं. - 4498 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DESH DEEPAK पुत्र/पुत्री श्री PREM NATH टोकन नं. 4498 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DESH DEEPAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...PREM NATH दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DESH DEEPAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PREM NATH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/743

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DESH DEEPAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PREM NATH टोकन नं. 4498 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5872, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



MUNICIPALITY OF
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Chandani पुत्र/पुत्री श्री Mohd isha टोकन नं. - 4520 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Chandani पुत्र/पुत्री श्री Mohd isha टोकन नं. 4520 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Chandani पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohd isha दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Chandani पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd isha द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,SURVEY ID, Bank copy, REHABILITATION FORM
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 744

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Chandani पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd isha टोकन नं. 4520 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5858 , 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.के, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411849, 2411864, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAMESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Mishri lal टोकन नं. - 4525 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAMESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Mishri lal टोकन नं. 4525 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAMESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mishri lal दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAMESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mishri lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्टांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 745

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAMESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mishri lal टोकन नं. 4525 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5055, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JAYAKISHAN पुत्र/पुत्री श्री **Gangaram** टोकन नं. - 4526 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JAYAKISHAN पुत्र/पुत्री श्री **Gangaram** टोकन नं. 4526 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JAYAKISHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Gangaram** दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JAYAKISHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Gangaram** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, RWA SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/746

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JAYAKISHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **Gangaram** टोकन नं. 4526 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5053, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जोड़, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415519
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Geeta Devi पुत्र/पुत्री श्री Late Ravi kumar टोकन नं. - 4529 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Geeta Devi पुत्र/पुत्री श्री Late Ravi kumar टोकन नं. 4529 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Geeta Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late Ravi kumar दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Geeta Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late Ravi kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, Pan Card,
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 747

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Geeta Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Late Ravi kumar टोकन नं. 4529 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5233, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415519
Fax : 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mhd Munna पुत्र/पुत्री श्री Abdul Aziz टोकन नं. - 4531 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mhd Munna पुत्र/पुत्री श्री Abdul Aziz टोकन नं. 4531 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Mhd Munna पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Aziz दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mhd Munna पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Aziz द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 748

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Mhd Munna पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Aziz टोकन नं. 4531 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6000, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411648, 2411664, 2418549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Jyoti Devi पुत्र/पुत्री श्री Naveen kumar टोकन नं. - 4533 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Jyoti Devi पुत्र/पुत्री श्री Naveen kumar टोकन नं. 4533 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Jyoti Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naveen kumar दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Jyoti Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naveen kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 749

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Jyoti Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Naveen kumar टोकन नं. 4533 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4859, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक, एन.आइ.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Dilip bage पुत्र/पुत्री श्री Shri joseph bage टोकन नं. - 4551 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Dilip bage पुत्र/पुत्री श्री Shri joseph bage टोकन नं. 4551 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Dilip bage पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Shri joseph bage दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Dilip bage पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shri joseph bage द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/750

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Dilip bage पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shri joseph bage टोकन नं. 4551 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5269, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Varun kumar पुत्र/पुत्री श्री **Rakesh kumar** टोकन नं. - 4552 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Varun kumar पुत्र/पुत्री श्री Rakesh kumar टोकन नं. 4552 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री Varun kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Rakesh kumar दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Varun kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rakesh kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/751

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Varun kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Rakesh kumar टोकन नं. 4552 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5056, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416349
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Ram bharose टोकन नं. - 4553 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Ram bharose टोकन नं. 4553 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram bharose दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram bharose द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, RWA SLIP
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 752

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram bharose टोकन नं. 4553 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5059, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.पॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ABHADEVI पुत्र/पुत्री श्री Dinesh prashad टोकन नं. - 4575 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ABHADEVI पुत्र/पुत्री श्री Dinesh prashad टोकन नं. 4575 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ABHADEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinesh prashad दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ABHADEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinesh prashad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ00/ए0ई0ओ0/2024/753

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ABHADEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Dinesh prashad टोकन नं. 4575 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4367/5190, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2416849
Fax : 0129 2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ajaj पुत्र/पुत्री श्री Nizam टोकन नं. - 4619 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ajaj पुत्र/पुत्री श्री Nizam टोकन नं. 4619 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Ajaj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Nizam दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Ajaj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nizam द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,census slip, Yashi copy, DETAILS OF FAMILY
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 754

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Ajaj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nizam टोकन नं. 4619 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5608, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



FARIDABAD
MUNICIPAL CORPORATION

फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.ओ.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0128-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 9129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Apharoj पुत्र/पुत्री श्री Navab टोकन नं. - 4632 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Apharoj पुत्र/पुत्री श्री Navab टोकन नं. 4632 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Apharoj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Navab दिनांक 07.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Apharoj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Navab द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Driving Licence, SUMOON, Bank copy, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांक क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 755

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Apharoj पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Navab टोकन नं. 4632 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4999, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.ओ.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JEENATH PARVEEN पुत्र/पुत्री श्री ANWAR AALAM टोकन नं. - 4651 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JEENATH PARVEEN पुत्र/पुत्री श्री ANWAR AALAM टोकन नं. 4651 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JEENATH PARVEEN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANWAR AALAM दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JEENATH PARVEEN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANWAR AALAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Yashi copy, MEMBERSHIP CARD
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/756

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JEENATH PARVEEN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ANWAR AALAM टोकन नं. 4651 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5820, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411649
Fax : 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ZAHID HUSSAIN पुत्र/पुत्री श्री ALTAF KHAN टोकन नं. - 4654 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ZAHID HUSSAIN पुत्र/पुत्री श्री ALTAF KHAN टोकन नं. 4654 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ZAHID HUSSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ALTAF KHAN दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ZAHID HUSSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ALTAF KHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/757

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ZAHID HUSSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ALTAF KHAN टोकन नं. 4654 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5969, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel: 0129-2411649, 2411864, 2415548
Fax: 0129-2411645

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ARPITA VAIPARI पुत्र/पुत्री श्री **Jiten byapari** टोकन नं. - 4658 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ARPITA VAIPARI पुत्र/पुत्री श्री Jiten byapari टोकन नं. 4658 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री ARPITA VAIPARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Jiten byapari दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ARPITA VAIPARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jiten byapari द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Yashi copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/758

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ARPITA VAIPARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jiten byapari टोकन नं. 4658 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5501, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद -121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2416649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM KUMAR SAH पुत्र/पुत्री श्री RAM JIVAN SAH टोकन नं. - 4660 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM KUMAR SAH पुत्र/पुत्री श्री RAM JIVAN SAH टोकन नं. 4660 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM KUMAR SAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM JIVAN SAH दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM KUMAR SAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM JIVAN SAH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, SURVEY ID
---	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/759

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM KUMAR SAH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM JIVAN SAH टोकन नं. 4660 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4805, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री W/O LT. ASHUTOSH JHA टोकन नं. - 4742 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री W/O LT. ASHUTOSH JHA टोकन नं. 4742 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री W/O LT. ASHUTOSH JHA दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री W/O LT. ASHUTOSH JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,Bank copy
---	---------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 760

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री W/O LT. ASHUTOSH JHA टोकन नं. 4742 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5186, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.गौड, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411619, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUMTAJ BEGAM पुत्र/पुत्री श्री Noor Mohammad टोकन नं. - 4754 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUMTAJ BEGAM पुत्र/पुत्री श्री Noor Mohammad टोकन नं. 4754 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MUMTAJ BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Noor Mohammad दिनांक 27.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MUMTAJ BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Noor Mohammad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, PPP, Pan Card, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 761

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MUMTAJ BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Noor Mohammad टोकन नं. 4754 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4601, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Pravesh टोकन नं. - 4757 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Pravesh टोकन नं. 4757 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Pravesh दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Pravesh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Pan Card, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 762

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Pravesh टोकन नं. 4757 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4704, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.पॉक, एन.आर.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2419485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KHUSHBOO SHARMA पुत्र/पुत्री श्री .Manoj sharma टोकन नं. - 4844 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KHUSHBOO SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Manoj sharma टोकन नं. 4844 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KHUSHBOO SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Manoj sharma दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KHUSHBOO SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/763

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KHUSHBOO SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Manoj sharma टोकन नं. 4844 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5437, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411864, 2416549
Fax: 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JHARNA PASWAN पुत्र/पुत्री श्री **Kamal kanto das** टोकन नं. - 4854 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JHARNA PASWAN पुत्र/पुत्री श्री Kamal kanto das टोकन नं. 4854 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JHARNA PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Kamal kanto das दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JHARNA PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kamal kanto das द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, PPP, Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/764

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JHARNA PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kamal kanto das टोकन नं. 4854 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4360, 24.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Rinki devi पुत्र/पुत्री श्री Govind Singh negi टोकन नं. - 4879 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Rinki devi पुत्र/पुत्री श्री Govind Singh negi टोकन नं. 4879 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Rinki devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Govind Singh negi दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Rinki devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Govind Singh negi द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/765

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Rinki devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Govind Singh negi टोकन नं. 4879 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5377, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करोधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Gautam kumar पुत्र/पुत्री श्री Ashish kumar टोकन नं. - 4902 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Gautam kumar पुत्र/पुत्री श्री Ashish kumar टोकन नं. 4902 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री Gautam kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashish kumar दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Gautam kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashish kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/766

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री Gautam kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ashish kumar टोकन नं. 4902 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7034, 02.06..2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129 2416649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BIRJU SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Nanku Sharma टोकन नं. - 4917 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BIRJU SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Nanku Sharma टोकन नं. 4917 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BIRJU SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanku Sharma दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BIRJU SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanku Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, RWA SLIP, Bank copy, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 767

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BIRJU SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanku Sharma टोकन नं. 4917 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5016, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416435

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MR ADITYA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Bindeswari sharma टोकन नं. - 4920 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MR ADITYA SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Bindeswari sharma टोकन नं. 4920 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MR ADITYA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bindeswari sharma दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MR ADITYA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bindeswari sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Yashi copy, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 768

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MR ADITYA SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bindeswari sharma टोकन नं. 4920 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5013, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2418549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ARVIND SHARMA पुत्र/पुत्री श्री sowargya Bindeswari Sharma टोकन नं. - 4927 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ARVIND SHARMA पुत्र/पुत्री श्री sowargya Bindeswari Sharma टोकन नं. 4927 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री ARVIND SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...sowargya Bindeswari Sharma दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ARVIND SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री sowargya Bindeswari Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Bank copy, Yashi copy
---	------------------------------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 769

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ARVIND SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री sowargya Bindeswari Sharma टोकन नं. 4927 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5014, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121004, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी बुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BAJID HUSAIN पुत्र/पुत्री श्री Aabid husain टोकन नं. - 4969 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BAJID HUSAIN पुत्र/पुत्री श्री Aabid husain टोकन नं. 4969 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BAJID HUSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Aabid husain दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BAJID HUSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Aabid husain द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/770

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BAJID HUSAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Aabid husain टोकन नं. 4969 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4876, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 241664, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Sital tanti टोकन नं. - 4970 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Sital tanti टोकन नं. 4970 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Sital tanti दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sital tanti द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,PPP,Yashi copy
---	---------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/771

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PRAMILA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sital tanti टोकन नं. 4970 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5124, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बोक, एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लककड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GANGA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री .Shankar Mandal टोकन नं. - 4978 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लककड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GANGA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री Shankar Mandal टोकन नं. 4978 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GANGA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Shankar Mandal दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GANGA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shankar Mandal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,DETAIL OF FAMILY. Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 772

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GANGA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shankar Mandal टोकन नं. 4978 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4949, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAMMAD ISLAM पुत्र/पुत्री श्री Nanne khan टोकन नं. - 4994 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAMMAD ISLAM पुत्र/पुत्री श्री Nanne khan टोकन नं. 4994 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHAMMAD ISLAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Nanne khan दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAMMAD ISLAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanne khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 773

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHAMMAD ISLAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanne khan टोकन नं. 4994 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5730, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



MUNICIPAL CORPORATION
FARIDABAD

फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415648
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHAHIDA BANO पुत्र/पुत्री श्री Mohammed Rahish khan टोकन नं. - 4998 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHAHIDA BANO पुत्र/पुत्री श्री Mohammed Rahish khan टोकन नं. 4998 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHAHIDA BANO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Mohammed Rahish khan दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।


अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHAHIDA BANO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammed Rahish khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card,PPP,RWA SLIP


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/774

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHAHIDA BANO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammed Rahish khan टोकन नं. 4998 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5553, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHAHNAJ BEGAM पुत्र/पुत्री श्री Ramjan ali टोकन नं. - 5002 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHAHNAJ BEGAM पुत्र/पुत्री श्री Ramjan ali टोकन नं. 5002 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SHAHNAJ BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Ramjan ali दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHAHNAJ BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramjan ali द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

PPP,RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 775

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SHAHNAJ BEGAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramjan ali टोकन नं. 5002 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5552, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 24116519
Fax : 0129-2411645

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री HAJIRA BANO पुत्र/पुत्री श्री Abdul wahab टोकन नं. - 5003 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री HAJIRA BANO पुत्र/पुत्री श्री Abdul wahab टोकन नं. 5003 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री HAJIRA BANO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...Abdul wahab दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री HAJIRA BANO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul wahab द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 776

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री HAJIRA BANO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul wahab टोकन नं. 5003 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4902, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANITA MAZUMDAR पुत्र/पुत्री श्री AMAR CHAND टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANITA MAZUMDAR पुत्र/पुत्री श्री AMAR CHAND टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ANITA MAZUMDAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR CHAND दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANITA MAZUMDAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR CHAND द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Bank copy
---	----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 777

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANITA MAZUMDAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMAR CHAND टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5710, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411954, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAMMAD KALAM पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD ISHAQUE टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAMMAD KALAM पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD ISHAQUE टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MOHAMMAD KALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ISHAQUE दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAMMAD KALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ISHAQUE द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, Bank copy, census slip

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 778

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MOHAMMAD KALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ISHAQUE टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5486, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ABDUL SALAM पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD ISLAM टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ABDUL SALAM पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD ISLAM टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ABDUL SALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ISLAM दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ABDUL SALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ISLAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 779

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ABDUL SALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD ISLAM टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4918, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 24116549
Fax: 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KAMESHWAR SINGH पुत्र/पुत्री श्री PARMESHWAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KAMESHWAR SINGH पुत्र/पुत्री श्री PARMESHWAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KAMESHWAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PARMESHWAR दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KAMESHWAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PARMESHWAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 780

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KAMESHWAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PARMESHWAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5404, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411064, 2416649
Fax : 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BUTTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BUTTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BUTTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAJ KUMAR दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BUTTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, SURVEY ID, Bank copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 781

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BUTTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4919, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAMRADHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री JAGDISH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAMRADHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री JAGDISH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAMRADHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...JAGDISH दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAMRADHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,SURVEY ID
---	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 782

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAMRADHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAGDISH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5407, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क, एन.आई.टी, फरीदाबाद 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411854, 2415549
Fax : 0129-2410495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MADAN PANDIT टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MADAN PANDIT टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MADAN PANDIT दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MADAN PANDIT द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,SURVEY ID
---	---------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/783

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MADAN PANDIT टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4583, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SUNIL KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SUNIL KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SUNIL KUMAR दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNIL KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, Bank copy, LABOUR CARD, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/784

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNIL KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5518, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सिक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM VRISH MISTRI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM VRISH MISTRI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..RAM VRISH MISTRI दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM VRISH MISTRI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/785

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM VRISH MISTRI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5720, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधोन अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PRIYATAM KUMAR पुत्र/पुत्री श्री GARIVAN PASWAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PRIYATAM KUMAR पुत्र/पुत्री श्री GARIVAN PASWAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PRIYATAM KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..GARIVAN PASWAN दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PRIYATAM KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GARIVAN PASWAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, YAHSI COPY
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/786

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PRIYATAM KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GARIVAN PASWAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4800, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BHOLI DEVI पुत्र/पुत्री श्री KAILASH CHOUPAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BHOLI DEVI पुत्र/पुत्री श्री KAILASH CHOUPAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के सम्क्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BHOLI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAILASH CHOUPAL दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गडिड कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BHOLI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAILASH CHOUPAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card,PPP,SURVEY ID, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/787

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BHOLI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAILASH CHOUPAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5022, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.नोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416849
Fax : 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BINDU पुत्र/पुत्री श्री VINOD KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BINDU पुत्र/पुत्री श्री VINOD KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BINDU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...VINOD KUMAR दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BINDU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VINOD KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Pan Card, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/788

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BINDU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VINOD KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4841, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री GOPAL SHARAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री GOPAL SHARAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...GOPAL SHARAN दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GOPAL SHARAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 789

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GOPAL SHARAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5254, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax: 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANURAG SAHNI पुत्र/पुत्री श्री RAM DHARI SAHNI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANURAG SAHNI पुत्र/पुत्री श्री RAM DHARI SAHNI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ANURAG SAHNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAM DHARI SAHNI दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANURAG SAHNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM DHARI SAHNI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, LABOUR CARD, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 790

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ANURAG SAHNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM DHARI SAHNI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4797, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा- इंडिया
Tel : 0129-2411640, 2411664, 2415519
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNAINA DEVI पुत्र/पुत्री श्री LAKHAN PRASAD टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNAINA DEVI पुत्र/पुत्री श्री LAKHAN PRASAD टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNAINA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...LAKHAN PRASAD दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ध्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNAINA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAKHAN PRASAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 791

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNAINA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAKHAN PRASAD टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4812, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सोक. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2418549
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJANA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री CHABIL NATH SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJANA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री CHABIL NATH SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANJANA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...CHABIL NATH SINGH दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANJANA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHABIL NATH SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card, PPP, Yashi copy, Bank copy, RWA SLIP

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/792

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANJANA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHABIL NATH SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5057, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनाथ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.गॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411019, 2411864, 2416649
Fax : 0129-2416488

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DOLI KUMARI पुत्र/पुत्री श्री UDAY KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DOLI KUMARI पुत्र/पुत्री श्री UDAY KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री DOLI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...UDAY KUMAR दिनांक 10.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DOLI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UDAY KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Bank copy
---	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 793

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री DOLI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UDAY KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5950, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411864, 2416549
Fax : 0129-2416405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KIRAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMESHWAR SHAH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KIRAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMESHWAR SHAH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KIRAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESHWAR SHAH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KIRAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESHWAR SHAH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, Yashi copy, LABOUR
CARD COPY, RWA SLIP, BANK DETAIL

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/794

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KIRAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESHWAR SHAH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6218, 16.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.गोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411654, 24116549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BISHNU KUMAR THAPA पुत्र/पुत्री श्री TULSI RAM THAPA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BISHNU KUMAR THAPA पुत्र/पुत्री श्री TULSI RAM THAPA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BISHNU KUMAR THAPA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...TULSI RAM THAPA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BISHNU KUMAR THAPA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TULSI RAM THAPA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy, DETAIL OF FAMILY, REHABILITATION FORM
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 795

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BISHNU KUMAR THAPA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TULSI RAM THAPA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4801, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री CHHABI NATH SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री CHHABI NATH SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHHABI NATH SINGH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHHABI NATH SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy, Bank copy
---	----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/796

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHHABI NATH SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5058, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा- इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHANDA DEVI पुत्र/पुत्री श्री BAIJ NATH PATHAK टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHANDA DEVI पुत्र/पुत्री श्री BAIJ NATH PATHAK टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री CHANDA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BAIJ NATH PATHAK दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHANDA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BAIJ NATH PATHAK द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/797

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री CHANDA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BAIJ NATH PATHAK टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4958, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री श्री JANARDHAN SHARMA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निगर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री श्री JANARDHAN SHARMA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JANARDHAN SHARMA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JANARDHAN SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Yashi copy
---	------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/798

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JANARDHAN SHARMA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5293, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

नी के चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BIDUT PRAVA NAYAK पुत्र/पुत्री श्री ABAY KUMAR NAYAK टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BIDUT PRAVA NAYAK पुत्र/पुत्री श्री ABAY KUMAR NAYAK टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BIDUT PRAVA NAYAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ABAY KUMAR NAYAK दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BIDUT PRAVA NAYAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABAY KUMAR NAYAK द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Pan Card, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 799

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BIDUT PRAVA NAYAK पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABAY KUMAR NAYAK टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5947, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा- इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AZIMA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री **MO. CHAND RAJA ANSARI** टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AZIMA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MO. CHAND RAJA ANSARI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AZIMA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **MO. CHAND RAJA ANSARI** दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AZIMA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **MO. CHAND RAJA ANSARI** द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 800

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AZIMA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MO. CHAND RAJA ANSARI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5919, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करीबान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.के. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANGITA पुत्र/पुत्री श्री VIKRAM SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANGITA पुत्र/पुत्री श्री VIKRAM SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANGITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...VIKRAM SINGH दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANGITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VIKRAM SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/801

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANGITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VIKRAM SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5876, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक, एन.ओई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NAMITA पुत्र/पुत्री श्री SUNKINT MANDAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NAMITA पुत्र/पुत्री श्री SUNKINT MANDAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NAMITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNKINT MANDAL दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NAMITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNKINT MANDAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पुष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 802

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NAMITA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNKINT MANDAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5515, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक्स, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHAND RAZA ANSARI पुत्र/पुत्री श्री MUSLIM ANSARI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHAND RAZA ANSARI पुत्र/पुत्री श्री MUSLIM ANSARI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री CHAND RAZA ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUSLIM ANSARI दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHAND RAZA ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUSLIM ANSARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 803

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री CHAND RAZA ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUSLIM ANSARI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4852, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.घोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415619
Fax : 0129-2415455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री श्री .SATISH KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SATISH KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SATISH KUMAR दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SATISH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, PM-UDAY
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 804

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GEETA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SATISH KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4686, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

श्री.के.बोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax: 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री POOJA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KUWAR RAM टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री POOJA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KUWAR RAM टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री POOJA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KUWAR RAM दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री POOJA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KUWAR RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, BIRTH CERTIFICATE, RWA SLIP, GPA, Affidavit
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 805

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री POOJA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KUWAR RAM टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 425, 25.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411651, 2415519
Fax: 0129-2415485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बेटे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KIRAN JHA पुत्र/पुत्री श्री LALIT KUMAR JHA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KIRAN JHA पुत्र/पुत्री श्री LALIT KUMAR JHA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KIRAN JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...LALIT KUMAR JHA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KIRAN JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LALIT KUMAR JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
---	------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 806

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KIRAN JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LALIT KUMAR JHA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5859, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2418649
Fax: 0129-2418665

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAVITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MANOHAR SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनको आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAVITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री MANOHAR SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SAVITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MANOHAR SINGH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAVITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOHAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 807

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SAVITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOHAR SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5038, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री श्री MANOJ RAM टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री श्री MANOJ RAM टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MANOJ RAM दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOJ RAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, RWA SLIP, Yashi copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठानकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 808

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RENU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOJ RAM टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4844, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.के. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411864, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BEBI JHA पुत्र/पुत्री श्री SUDHIR JHA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BEBI JHA पुत्र/पुत्री श्री SUDHIR JHA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BEBI JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUDHIR JHA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BEBI JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUDHIR JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card,
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 809

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BEBI JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUDHIR JHA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4275, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2415465

“Speaking Order”

विषय— नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GEETA पुत्र/पुत्री श्री SANTOSH KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GEETA पुत्र/पुत्री श्री SANTOSH KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GEETA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SANTOSH KUMAR दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GEETA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANTOSH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

दिनांक: 09.05.2024

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 810

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GEETA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANTOSH KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4600 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक्स, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 24116519
Fax: 0129-2418465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NIRMALA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARESH SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NIRMALA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARESH SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NIRMALA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH SINGH दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NIRMALA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, REHABILITATION FORM, Bank copy, SURVEY ID, LABOUR CARD, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठानक क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/811

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NIRMALA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4604, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411634, 2415349
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MEENA पुत्र/पुत्री श्री DEV KARAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MEENA पुत्र/पुत्री श्री DEV KARAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DEV KARAN दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEV KARAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	--


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 812

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEV KARAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5007, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद -121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी जुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAYMON KAJUR टोकन नं. -0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAYMON KAJUR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...RAYMON KAJUR दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAYMON KAJUR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/813

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री LALITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAYMON KAJUR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5199, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.यू.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद - 121001, हरियाणा - इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24115519
Fax : 0129-2411646S

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KARTIK SAH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KARTIK SAH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...KARTIK SAH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KARTIK SAH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy, RWA SLIP
---	---------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 814

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SONA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KARTIK SAH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4763/4701, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AARTI KUMARI पुत्र/पुत्री श्री VIJAY KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस10 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AARTI KUMARI पुत्र/पुत्री श्री VIJAY KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AARTI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...VIJAY KUMAR दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AARTI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VIJAY KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Ration Card, PPP, RWA SLIP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 815

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AARTI KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VIJAY KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4772/4702, 01.05.2023, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनाथ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.मोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARESH PARSHAD टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री NARESH PARSHAD टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH PARSHAD दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH PARSHAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 816

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARESH PARSHAD टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5542, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री श्री HUKAMI LAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री श्री HUKAMI LAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HUKAMI LAL दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HUKAMI LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Bank copy, LABOUR CARD,
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त, एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/817

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAM BABU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HUKAMI LAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4365, 24.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ब्लॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411604, 2416549
Fax : 0129-2410405

“Speaking Order”

विषय- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GODAVARI DEVI पुत्र/पुत्री श्री MITHLESH THAKUR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GODAVARI DEVI पुत्र/पुत्री श्री MITHLESH THAKUR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GODAVARI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MITHLESH THAKUR दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GODAVARI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MITHLESH THAKUR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy, SURVEY ID, RWA SLIP
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 818

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GODAVARI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MITHLESH THAKUR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4247, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

सी.के.बी.डी. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2415665

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GULAB JHA पुत्र/पुत्री श्री ABHAY KANT JHA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GULAB JHA पुत्र/पुत्री श्री ABHAY KANT JHA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री GULAB JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...ABHAY KANT JHA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GULAB JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABHAY KANT JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan
Card, Bank copy, LABOUR CARD,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 819

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री GULAB JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABHAY KANT JHA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4229, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JAYANTI DEVI JHA पुत्र/पुत्री श्री INDRESH KUMAR JHA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JAYANTI DEVI JHA पुत्र/पुत्री श्री INDRESH KUMAR JHA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JAYANTI DEVI JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...INDRESH KUMAR JHA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JAYANTI DEVI JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री INDRESH KUMAR JHA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, Bank copy, LABOUR CARD, SBI IDENTITY CARD
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/820

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JAYANTI DEVI JHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री INDRESH KUMAR JHA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4228, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सी.क. एच.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2416649, 2411664, 2416649
Fax : 9129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAMESH CHAND VERMA पुत्र/पुत्री श्री DUKH HARAN VERMA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAMESH CHAND VERMA पुत्र/पुत्री श्री DUKH HARAN VERMA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RAMESH CHAND VERMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DUKH HARAN VERMA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAMESH CHAND VERMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DUKH HARAN VERMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
---	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/821

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RAMESH CHAND VERMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DUKH HARAN VERMA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4846, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.घोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ALMASHA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MD.GYASUDDIN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ALMASHA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MD.GYASUDDIN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ALMASHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD.GYASUDDIN दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ALMASHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD.GYASUDDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,Yashi copy
---	----------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/822

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ALMASHA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD.GYASUDDIN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6006, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BABY DEVI पुत्र/पुत्री श्री MIRTUNJAY SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BABY DEVI पुत्र/पुत्री श्री MIRTUNJAY SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री BABY DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MIRTUNJAY SINGH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BABY DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MIRTUNJAY SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy
---	-----------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पुष्पांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 823

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री BABY DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MIRTUNJAY SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5202, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.गोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 24116549
Fax : 0129-24116405

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAHIMA पुत्र/पुत्री श्री BUDH VIKAS टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAHIMA पुत्र/पुत्री श्री BUDH VIKAS टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MAHIMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BUDH VIKAS दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAHIMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BUDH VIKAS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Yashi copy, PVT. COM. DETAIL
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/824

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAHIMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BUDH VIKAS टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4594, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.गोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा- इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax: 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAGHUVAR SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAGHUVAR SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAGHUVAR SINGH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAGHUVAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,SURVEY ID
---	---------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/825

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAGHUVAR SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4792, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.जोश, एन.आई.टी. फरीदाबाद -121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415518
Fax: 0129-2410465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAMTA BALA पुत्र/पुत्री श्री VISHVNATH BALA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAMTA BALA पुत्र/पुत्री श्री VISHVNATH BALA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MAMTA BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VISHVNATH BALA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAMTA BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VISHVNATH BALA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Yashi copy
---	------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 826

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MAMTA BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VISHVNATH BALA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.जी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ASHGAR ALI पुत्र/पुत्री श्री JALALUDDIN MIYA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ASHGAR ALI पुत्र/पुत्री श्री JALALUDDIN MIYA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री ASHGAR ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JALALUDDIN MIYA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ASHGAR ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JALALUDDIN MIYA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, SURVEY ID, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/827

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री ASHGAR ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JALALUDDIN MIYA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5207, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAJENDER टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAJENDER टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDER दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDER द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, SURVEY ID, Yashi copy
---	---


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/828

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDER टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5607, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NISHA MANSUR पुत्र/पुत्री श्री .AMRUDIN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NISHA MANSUR पुत्र/पुत्री श्री AMRUDIN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NISHA MANSUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...AMRUDIN दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NISHA MANSUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMRUDIN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card, Aadhar Card, PPP, RWA SLIP, Yashi copy,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 829

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NISHA MANSUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AMRUDIN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5203, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

श्री.के.बोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PHULA DEVI पुत्र/पुत्री श्री UMESH KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PHULA DEVI पुत्र/पुत्री श्री UMESH KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PHULA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...UMESH KUMAR दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PHULA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/830

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PHULA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UMESH KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा- इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415849
Fax : 0129-2416495

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रदद आवेदन के विरुद्ध श्री SATNAM SINGH पुत्र/पुत्री श्री MANVIR SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SATNAM SINGH पुत्र/पुत्री श्री MANVIR SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SATNAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...MANVIR SINGH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SATNAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANVIR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,RWA SLIP
---	----------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/831

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SATNAM SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANVIR SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4632, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

श्री के चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANGITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री UPENDRA KUMAR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANGITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री UPENDRA KUMAR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANGITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...UPENDRA KUMAR दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANGITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UPENDRA KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, Yashi copy, RWA SLIP
---	---------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 832

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANGITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री UPENDRA KUMAR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5579, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.यू.के., एन.आई.टी., फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411804, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री NAGENDER RAI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री NAGENDER RAI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...NAGENDER RAI दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAGENDER RAI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, Ayshman card, Yashi copy, DISABILITY CERTIFICATE
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 833

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAGENDER RAI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4776, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.ओ.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411654, 2415649
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री .GOVIND KUMAR SINGH टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री श्री GOVIND KUMAR SINGH टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...GOVIND KUMAR SINGH दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GOVIND KUMAR SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, PPP, Bank copy, Yashi copy
---	---

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/834

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री KANCHAN DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GOVIND KUMAR SINGH टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4603, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.वॉक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415649
Fax : 0129-2416466

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SARITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री DHARMENDER KUMAR SHARMA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SARITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री DHARMENDER KUMAR SHARMA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SARITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...DHARMENDER KUMAR SHARMA दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SARITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DHARMENDER KUMAR SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,
---	------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/835

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SARITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DHARMENDER KUMAR SHARMA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5566, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0128 2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0128-2415455

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NOORJAHAN पुत्र/पुत्री श्री AJJU RAHMAN टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NOORJAHAN पुत्र/पुत्री श्री AJJU RAHMAN टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री NOORJAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...AJJU RAHMAN दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NOORJAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJJU RAHMAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,PPP,ELEC. BILL, YAHY COPY
---	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 836

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री NOORJAHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AJJU RAHMAN टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5150, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सोक. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415519
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MEHRUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री MOHD NOOR टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MEHRUN NISHA पुत्र/पुत्री श्री MOHD NOOR टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MEHRUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD NOOR दिनांक 11.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MEHRUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD NOOR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy
---	--

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/837

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MEHRUN NISHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD NOOR टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5149, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.सिक, एन.आई.टी. फरीदाबाद- 121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415049
Fax : 0129-2416468

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री FARZANA पुत्र/पुत्री श्री NAZBUL HSAN/RASHID टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री FARZANA पुत्र/पुत्री श्री NAZBUL HSAN/RASHID टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री FARZANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..NAZBUL HSAN/RASHID दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री FARZANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAZBUL HSAN/RASHID द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, Bank copy, census slip

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 838

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री FARZANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAZBUL HSAN/RASHID टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.ओ.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 24116649
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री CHATTARBHUJ टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री CHATTARBHUJ टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री SANTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..CHATTARBHUJ दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SANTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHATTARBHUJ द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card,Ration Card,PPP,Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 839

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री SANTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHATTARBHUJ टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6005, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.योक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PURNI DEVI पुत्र/पुत्री श्री MOHAN MANDAL टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PURNI DEVI पुत्र/पुत्री श्री MOHAN MANDAL टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री PURNI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN MANDAL दिनांक 28.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PURNI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN MANDAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP,

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 840

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री PURNI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN MANDAL टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4955, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.मोक, एन.आई.टी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AYUB पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AYUB पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री AYUB पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यन दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AYUB पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Ration Card, CENSUS COPY
---	--------------------------------------

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/841

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री AYUB पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5582, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.कोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2411649
Fax : 0129-2411645

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JUBER पुत्र/पुत्री श्री NAEEM ANSARI टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JUBER पुत्र/पुत्री श्री NAEEM ANSARI टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री JUBER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...NAEEM ANSARI दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JUBER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAEEM ANSARI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/842

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री JUBER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAEEM ANSARI टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4972, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सी.क. एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-241648, 241654, 2416549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MARY NIRMALA DEMA पुत्र/पुत्री श्री SANJAY SHARMA टोकन नं. - 0 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MARY NIRMALA DEMA पुत्र/पुत्री श्री SANJAY SHARMA टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

श्री MARY NIRMALA DEMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...SANJAY SHARMA दिनांक 12.07.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MARY NIRMALA DEMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANJAY SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP, Bank copy, Yashi copy

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 843

दिनांक:- 09.05.2024

1- श्री MARY NIRMALA DEMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANJAY SHARMA टोकन नं. 0 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4785, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी